

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-09, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित



07 अगस्त 2024, बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, निःशुल्क

महिला सशक्तिरण का आधार : महतारी वंदन योजना

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का रक्षाबंधन उपहार, मातृ शक्ति के लिए खोला पिटारा, सेहत, सुरक्षा, पर्यावरण और पानी को बचाने की दी सुविधा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बस्तर प्रवास के दौरान महतारी वंदन योजना की 6वीं किस्त जारी कर महिलाओं को राखी से पहले तोहफा दिया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 70 लाख महिलाओं के खाते में छह महीने में छह-छह हजार रुपए आ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने एक अगस्त को जगदलपुर में कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रिमोट का बटन दबाकर महतारी वंदन योजना की 6वीं किस्त की राशि 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में भेजी। महतारी वंदन योजना की इस मासिक किस्त से राज्य की मातृशक्ति अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, पोषण आदि में खर्च कर रही हैं।

बस्तर में

जनकल्याण की सौगात

01 करोड़ का ऑडिटोरियम मंजूर

02 नए थाने का लोकार्पण

03 SDM ऑफिस का लोकार्पण

13 परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति

चरण पादुका और सरस्वती सायकल योजना शुरू होगी

छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही चरण पादुका वितरण योजना और सरस्वती सायकल योजना फिर से शुरू करने वाली है। जगदलपुर में कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसकी घोषणा की।

समूह हितग्राहियों को 100 करोड़ का ऋण

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एनआरएलएम के तहत बिहान योजनान्तर्गत संकुल संगठन एवं महिला स्व-सहायता समूहों के 3061 समूह हितग्राही को 100 करोड़ का ऋण वितरण किया गया।

जल जीवन मिशन में महिलाओं का कौशल विकास

सीएम ने एक दिवसीय जगदलपुर दौर के दौरान जल शक्ति अभियान के तहत जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन जिले के सभी गांव में पहुंचकर जल संरक्षण के उपायों की जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक करेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2,385 महिलाओं को पानी के परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। बस्तर जिले की 433 ग्राम पंचायतों के 614 ग्रामों में 11979 हैंडपंप हैं, जिनके पानी का समय-समय पर महिलाएं परीक्षण करेंगी, यदि यह पानी पीने योग्य नहीं होगा तो लोगों को पानी पीने से रोकने के अलावा विभागीय मदद से पानी को साफ करने का प्रयास करेंगी।

मुख्यमंत्री ने भोरमदेव में हजारों कावड़ियों पर बरसाया फूल

सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर भोरमदेव बाबा भगवान शिव जी की विशेष पूजा-अर्चना और रुद्राभिषेक भी किया

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 5 अगस्त को प्रदेश के प्राचीन, पुरातात्विक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बाबा भोरमदेव मंदिर में पवित्र सावन माह के अवसर पर हजारों कावड़ियों का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं हेलीकॉप्टर से शिवभक्त कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अद्वितीय मौके पर भोरमदेव बाबा भगवान शिव जी की विशेष पूजा-अर्चना और रुद्राभिषेक भी किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों

कावड़ यात्रा की ऐतिहासिक परंपरा

बाबा भोरमदेव मंदिर 11वीं शताब्दी का पुरातात्विक स्थल है, कावड़ यात्रा में मध्यप्रदेश के अमरकंटक से मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर भक्तजन कठिन मार्गों से गुजरते हुए बाबा भोरमदेव, जलेश्वर महादेव और पंचमुखी बुद्ध महादेव में जलाभिषेक करते हैं।



की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की है। पवित्र सावन माह में शिव भक्तों के लिए यह ऐतिहासिक आयोजन रहा। कबीरधाम जिले में स्थित बाबा भोरमदेव मंदिर के साथ-साथ, बुद्ध महादेव और डोंगरिया के जलेश्वर महादेव जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर भी हर साल हजारों कावड़ियों द्वारा जलाभिषेक किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने सभी भक्तजनों को सावन मास की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सावन के तीसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस दौरान वे "बोल बम" के जयघोष के साथ भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते रहे।

“किसानों की खुशहाली व समृद्धि हमारा ध्येय”

हरेली त्योहार मौके पर सीएम साय ने कृषि यंत्र वितरित किए

हमन किसान मन के चिंता करथन

मुख्यमंत्री ने लोगों को हरेली की बधाई देते हुए कहा, हरेली के त्योहार मुख्य रूप से किसान मन के त्योहार हरय। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कहलाये। किसान मन ल आगू बड़ाय बर काम करथन।



आम लोगों के घरों से लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के आवास में हरेली त्योहार धूमधाम से मनाया गया। किसानों ने नागर, गैती, कुदाली, फावड़ा समेत कृषि के काम आने वाले औजारों की साफ-सफाई कर पूजा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर खुशहाली, अच्छी बारिश और पैदावार की कामना की। मुख्यमंत्री ने 23 किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली और समृद्धि सरकार का लक्ष्य है। कृषि पर निर्भरता और समर्थन मूल्य यहां की 80 प्रतिशत आबादी का जीवन-यापन कृषि पर निर्भर है।

रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट पर भी (शीघ्र ही एप पर भी लॉन्च किया जाएगा)

छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्र रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट

<https://dprcg.gov.in/>



पर ऑनलाइन उपलब्ध हो रहा है। इससे पाठकों को नवीनतम नौकरी के अवसरों, करियर सलाह, और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। अब अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर पर समाचार पत्र को एक्सेस कर सकते हैं।

श्री रमेन डेका ने 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली

श्री रमेन डेका ने राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित गरिमाय समारोह में छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्यपाल श्री डेका को पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका अभिवादन किया और शुभकामनाएं दीं।

श्री रमेन डेका का जीवन परिचय

छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल श्री रमेन डेका का जन्म 1 मार्च 1954 को असम के सुआलकुची, कामरूप में हुआ। उनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री सुरेंद्र नाथ डेका और माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती चंपाबती डेका है। धर्म पत्नी श्रीमती रानी डेका काकोटी और दो बच्चे हैं। श्री रमेन डेका ने बीए की डिग्री दर्शनशास्त्र और अर्थशास्त्र विषय में प्राग्ज्योतिष कॉलेज, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम से प्राप्त की।



राजनीतिक करियर

श्री रमेन डेका 1977 से राजनीति में सक्रिय हैं और 1980 में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। 2006 में वे असम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने। श्री डेका दो बार सांसद रह चुके हैं। पहली बार 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए असम के मंगलदोई सीट से सांसद चुने गए थे। 2014 में वे 16वीं लोकसभा के लिए पुनः सांसद निर्वाचित हुए।

छत्तीसगढ़ में अब तक के राज्यपाल

डीएन सहाय	01 नवंबर 2000 से 1 जून 2003
केएम सेठ	02 जून 2003 से 24 जनवरी 2007
केएम सेठ	25 जनवरी 2007 से 23 जनवरी 2010
शेखर दत्त	23 जनवरी 2010 से 1 जुलाई 2014
रामनरेश यादव	2 जुलाई 2014 से 24 जुलाई 2014
बलरामजी दास टंडन	15 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019
आनंदीबेन पटेल	15 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019
अनुसुइया उईके	29 जुलाई 2019 से 23 फरवरी 2023
विश्वभूषण हरिचंदन	23 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024

रोजगार सूचना

छत्तीसगढ़ होम गार्ड

पद: होम गार्ड
पद संख्या: 2215
अंतिम तिथि: 10 अगस्त 2024
<https://firenoc.cg.gov.in>

दक्षिण रेलवे

पद: अप्रेंटिस
पद संख्या: 2438
अंतिम तिथि: 12 अगस्त 2024
<https://sr.indianrailways.gov.in/>

एनआईए

पद: सब इंस्पेक्टर व अन्य
पद संख्या: 111
अंतिम तिथि: 15 अगस्त 2024
www.nia.gov.in

आरबीआई

पद: ग्रेड बी ऑफिसर
पद संख्या: 94
अंतिम तिथि: 16 अगस्त 2024
opportunities.rbi.org.in

जिपमेर

पद: गुप बी व सी
पद संख्या: 209
अंतिम तिथि: 19 अगस्त 2024
jipmer.edu.in

आरपीएससी

पद: जियोलॉजिस्ट व अन्य
पद संख्या: 56
अंतिम तिथि: 20 अगस्त 2024
rpsc.rajasthan.gov.in

आईटीबीपी

पद: एसआई हिंदी ट्रांसलेटर
पद संख्या: 17
अंतिम तिथि: 26 अगस्त 2024
<https://itbpolice.nic.in/>



रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक : मयंक श्रीवास्तव
संपादक : जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक : गीतांजलि नेताम
संपादकीय सलाहकार : अरविन्द मिश्रा
वितरण व्यवस्था : मोहन मिश्रा, विक्रान्त
संपादकीय सहयोग : संदीप सिन्हा
लेआउट डिजाइन : धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर : अंजुशानी, राकेश साहू

- कार्यालय पता -

छत्तीसगढ़ संवाद

(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,

अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)

फोन-0771-2512582, 2512583

ईमेल पता

rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन
निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक



मुख्यमंत्री श्री साय के हाथों वनाधिकार किसान पुस्तिका पाकर हर्षित हुई बस्तर की महिलाएं

महिलाओं के खाते में आ रहा है पईसा सांय-सांय

राज्य के 70 लाख विवाहित महिलाओं को इसका लाभ छह माह से मिल रहा है

छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लागू होने के साथ ही महिलाओं में नया आत्मविश्वास दिख रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा शुरू की गई महतारी वंदन योजना की लोकप्रियता शहरों के साथ-साथ गांवों में भी दिख रही है। राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना से राज्य के 70 लाख विवाहित महिलाओं को इसका लाभ छह माह से मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किए गए इस महत्वाकांक्षी योजना में 21 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं के मोबाइल में मेसेज आते ही परिवार के बच्चे खुशी से कह उठते हैं कि हमर मोबाइल में सांय-सांय पईसा आवत हे। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन को सटीक और बेहतर बनाने के लिए महतारी वंदन योजना एप्प जारी किया गया है।

महतारी वंदना योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के

बराबरी का मौके मिल सके, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। यह वह तरीका है, जिसके द्वारा महिलाएँ भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सके।

महतारी वंदन योजना में हर माह राशि आने का असर अब दिखने लगा है। महिलाओं ने हर कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। महिलाएँ अपना फैसले खुद ले रही हैं।



महिलाओं में आत्मनिर्भरता का भाव जगाने में यह योजना सफल हुई है। इस योजना से महिलाओं को उनके रोजमर्रा की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी मदद मिल रही है। इस राशि से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हो रहा है। महिलाओं को मिले इस आर्थिक स्रोत से परिवार की जरूरतों को पूरा करने, बच्चों के

अध्यापन कार्य तथा उनके लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करने में कर रही हैं।

महतारी वंदना योजना से महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिल रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लक्ष्यपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी नवाचारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। महिला समूहों को आर्थिक क्रियाकलापों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए

बिहान योजना भी संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान लगभग 3100 स्व-सहायता समूहों को 100 करोड़ रूपए की राशि का ऋण वितरित किया है। इससे महिलाओं में स्वावलंबन और आर्थिक रूप से निर्भरता आएगी।

• धनंजय राठौर

एमबीबीएस काउंसिलिंग के लिए आवेदन 14 से

एमबीबीएस में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग का शिड्यूल तय हो गया है। पहले राउंड के लिए 14 अगस्त से आवेदन मंगाए जाएंगे। इसके अनुसार पहली मेरिट लिस्ट 23 अगस्त को जारी होगी। च्वाइस फिलिंग और सीट लॉक की प्रक्रिया 16 अगस्त से 20 अगस्त तक होगी। छत्तीसगढ़ में 10 शासकीय और 5 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें एमबीबीएस की कुल 2110 सीटें हैं। नीट यूजी 2024 में प्रदेश से कुल 43873 छात्र शामिल हुए थे। इनमें से 22 हजार से ज्यादा छात्र क्वालिफाई परीक्षा में हुए हैं। काउंसिलिंग को लेकर विस्तृत जानकारी एमएमसी की आधिकारिक वेबसाइट mee.nic.in पर उपलब्ध है।

परिवहन उप निरीक्षक भर्ती लिखित परीक्षा 1 सितंबर को

रायपुर परिवहन उप निरीक्षक (तकनीकी) भर्ती के तहत 1 सितंबर को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह भर्ती कुल 15 पदों के लिए हो रही है। पिछले साल अगस्त में इसकी वैकेंसी निकली थी। आवेदन के एक साल बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए रायपुर में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। उप निरीक्षक भर्ती के तहत चयन दो चरणों में होगा। पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी। यह 300 अंकों के लिए होगी। इसमें दो पेपर होंगे। एक छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और दूसरा पेपर संबंधित विषय का होगा। परीक्षा सुबह 10 से 1 बजे तक होगी। इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे।

आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद हेतु आवेदन अगस्त तक

एकीकृत बाल विकास परियोजना लैलूंगा अंतर्गत मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 8 एवं आंगनबाड़ी सहायिका के 6 रिक्त पदों के लिए 21 अगस्त 2024 तक आवेदन मंगाए गए हैं। इच्छुक आवेदिका अपना आवेदन नियत तिथि तक कार्यालयीन अवधि में कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना लैलूंगा, जिला-रायगढ़ में सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन कर सकते हैं।

शिक्षा और विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आरंग में पाँच कन्या छात्रावासों का शुभारंभ किया। पाँचों छात्रावासों के शुरू हो जाने से अनुसूचित जाति की तीन सौ कन्याओं को आवासीय सुविधा मिलेगी। इन छात्रावासों की लागत आठ करोड़ छह लाख रुपये से ज्यादा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी हॉस्टल और छात्रावासों में दो हजार सीटों की वृद्धि करने की घोषणा की।

छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा

पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आरंग (100 सीटर, 174.67 लाख), प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मंदिर हसौद (50 सीटर, 174.67 लाख), अजा. कन्या आश्रम आरंग (50 सीटर, 162.76 लाख), अजा. कन्या छात्रावास आश्रम (50 सीटर, 162.76 लाख), नवीन प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आरंग (50 सीटर, 152.97 लाख रुपये) का शुभारंभ किया।

विकास योजनाओं की घोषणा

मुख्यमंत्री ने माइनर नगर वितरक शाखा क्रमांक-एक पोढ़ापार रसोटा तुलसी केशला के जीर्णोद्धार, आरंग एसडीएम और तहसील कार्यालय के कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण, आरंग रेस्ट हाउस का विस्तार और जीर्णोद्धार की भी घोषणा की। विधायक गुरु श्री खुशवंत साहेब की मांग पर भण्डारपुरी गुरुद्वारा परिसर के निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई।



श्रमिक कल्याण योजना

आरंग में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित परिवारों को सहायता प्रदान की। मिनीमाता महतारी योजना के तहत श्रमिक परिवार की दस महिलाओं को बीस-बीस हजार रुपये की सहायता दी गई। नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत पंद्रह मेधावी छात्राओं को बीस-बीस हजार रुपये की राशि के चेक वितरित किए गए।



कार्यालय अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केशकाल

जिला-कोंडागांव (छ.ग.)

email-itikeskl@gmail.com



क्रमांक/औप्रसं/केश/स्था./मे०प्र०/2024/ 416/

केशकाल दिनांक 19/07/2024

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नं.-4, प्रथम तल, अटल नगर, रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर के आदेश क्रमांक-248 दिनांक 12/03/2024 के अनुपालन में जिला कोण्डागाँव में संचालित विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध व्यवसायों/विषयों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2024-25 के लिये मेहमान प्रवक्ता (Guest Lecturer) हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं उपस्थिति के माध्यम से कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, केशकाल जिला कोण्डागाँव छ0ग0 494331 में आवेदन जमा/प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 12.08.2024 को अपरान्ह 5:00 बजे तक है। पदों की जानकारी एवं शैक्षणिक तकनीकी योग्यताएँ, निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है-

1. पदों की जानकारी :-

क्र०	व्यवसाय/विषय का नाम	औप्रसं केशकाल	औप्रसं धनोरा	कुल
1	2	3	4	5
01	ड्राइवर कम मैकेनिक	01	-	01
कुल योग				01

टीप: चूंकि ड्राइवर कम मैकेनिक व्यवसाय कि प्रशिक्षण अवधि छः माह है, अतः मेहमान प्रवक्ता का सेवाकाल छः माह (अगस्त 2024 से जनवरी 2025) की होगी। मेहमान प्रवक्ता के आवेदन हेतु नियम/शर्तें/योग्यता/आवेदन का प्रारूप एवं अन्य जानकारी संस्था के सूचना पटल पर देखी/प्राप्त की जा सकती है, एवं जिला कोण्डागाँव के वेबसाइट <http://kondagaon.gov.in> पर देखी/प्राप्त की जा सकती है

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-उम्मीदवार

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	संस्था का नाम	पदों की संख्या	वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता
01	ड्राइवर कम मैकेनिक	आईटीआई केशकाल	01	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. हल्के मोटर यान (एलएमव्ही) का वैध लायसेंस अनिवार्य है। 4. अधिमान-अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ए.टी.आई. /सी.टी.आई. उत्तीर्ण हो।

3. अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :-

- (क) जिन पदों के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के एटीआई/सीटीआई (परीक्षा) की तकनीकी योग्यता (आई.टी.आई./डिप्लोमा/डिग्री) परीक्षा की प्राप्तांकों के आधार पर प्राथमिकता देते हुए मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
- (ख) सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।
- (ग) जिन व्यवसायों के लिये हल्के मोटरयान (एल.एम.व्ही.) का वैध लायसेंस आवश्यक है, उन व्यवसायों के लिये उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (घ) आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र/इंजीनियरिंग में उपाधि/इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र अंकसूची में अंक

सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी।

नियम एवं शर्तें

- आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें जो कि कार्यालय अधीक्षक, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केशकाल जिला-कोण्डागाँव (छ.ग.) से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों का भली-भाँति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।
- प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
- प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एकवर्षीय सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आई.टी.आई./डिप्लोमा/डिग्री) प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा। सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
- मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
- शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं/व्यवसायों/विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
- पृथक-पृथक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा।
- संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रतिघंटा 140/- (एक सौ चालीस रुपये) की दर से प्रति कार्यदिवस अधिकतम पांच घंटे के मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम 15,000/- रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) मानदेय देय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। मेहमान प्रवक्ता को माह के कार्यदिवसों में एक दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर निर्धारित मानदेय से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
- मेहमान प्रवक्ताओं हेतु शासन द्वारा निर्धारित मद में बजट उपलब्ध होने पर ही मानदेय भुगतान किया जावेगा।
- आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होंगे। शासकीय अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- पदों की संख्या घटाई-बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय/विषय के लिये तैयार की गई अनुमोदित सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल अधिकारी निर्णय ले सकेंगे यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतिक्षा सूची में उम्मीदवार नहीं है तो अन्य जिलों की अनुमोदित सूची से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।
- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर / समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- आवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में दिनांक 12.08.2024 को सायं 5:00 बजे तक अथवा इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय

क्रमशः

अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, केशकाल जिला कोण्डागांव छ0ग0 494331 में जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर/आवेदन प्रपत्र में संस्था एवं व्यवसाय का नाम उल्लेख करना आवश्यक है।

- आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01/01/2024 की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए वांछित प्रमाण-पत्रों जैसे- शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, तकनीकी योग्यता, एटीआई/सीटीआई एवं निवास प्रमाण-पत्र तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र जिनके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है।
- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इस संबंध में उम्मीदवारों को सूचना नहीं दी जायेगी।
- मेहमान प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित की गई अवधि तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद चयन अनुमोदन सूची के अगले सरल क्रमांक को अवसर दिया जावेगा तथा इसी क्रम से अन्य आवेदकों को अवसर दिया जावेगा।
- चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जायेंगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नंबर सही एवं स्पष्ट उल्लेखित करें। दिये गये मोबाईल नंबर पर संपर्क न होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र जैसे- राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र/इंजीनियरिंग में उपाधि/इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण-पत्र/अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।

उक्त कार्यवाही द्वारा नियुक्त मेहमान प्रवक्ता माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर केस डब्ल्यू०पी०एस० 4836/2020 के संबंध में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

प्राचार्य/अधीक्षक
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केशकाल
जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित संस्था का नाम -----
(जिसके लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।)
आवेदित पद एवं व्यवसाय विषय का नाम -----

प्रति,

प्राचार्य/अधीक्षक/
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, केशकाल,
जिला - कोण्डागांव (छ०ग०)

स्वप्रमाणित
फोटो

विषय :- मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र ।
महोदय,

मेहमान प्रवक्ता हेतु निर्मांकित विवरणों के साथ आवेदन प्रस्तुत है :-

- आवेदक का नाम -----
- पिता/पति का नाम -----
- माता का नाम -----
- जाति -----वर्ग-----
- जन्मतिथि (अंको में) -----
(शब्दों में) -----
- पत्र व्यवहार का पूर्ण पता -----

- दूरभाष/मोबाईल नंबर -----

- स्थायी निवास का पूर्ण पता -----

- सी.टी.आई./ ए.टी.आई. उत्तीर्ण (हाँ/नहीं) -----
- हल्के मोटरयान (एल.एम.व्ही.) का वैध लायसेंस (यदि लागू हो) (हाँ/नहीं) -----
- शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता विवरण :-

क्रमांक	परीक्षा का नाम	मण्डल/बोर्ड/विश्वविद्यालय/आई.टी.आई	विषय/व्यवसाय	श्रेणी	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

टिप्पणी :-1) प्रत्येक संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे।

2) योग्यता से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों को स्वयं द्वारा सत्यापित संलग्न करें।

12. संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची :-

-
-
-
-
-
-

(आवेदक के हस्ताक्षर)

//शपथ-पत्र//

उक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जो कि पूर्णतः सत्य है एवं मैं सहमत हूँ कि :-

- मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ०ग० रायपुर द्वारा निर्धारित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
- मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण-पत्र सही है एवं सत्य है, यदि जानकारी अथवा प्रमाण-पत्र गलत पाये जाते हैं, तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
- मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा/करूंगी तथा यह चयन इस सत्र के लिये या आवश्यकता रहने तक या नियमित/स्थानान्तरित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने पर रहेगी, जिस हेतु मैं पूर्णतः सहमत हूँ।
- मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी।
- मैं एक से अधिक संस्था/व्यवसाय/विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था/व्यवसाय/विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊंगा/जाऊंगी। दूसरे संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये चयन स्वयमेव निरस्त समझा जावेगा।
- मैं शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों/ निर्देशों तथा नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान-----

दिनांक-----

पूरा नाम-----

पत्र व्यवहार का पता-----

मो.नं-----

ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा प्रभाग

चतुर्थ तल, ब्लॉक-ए, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर 492002 (छ.ग.)

फोन नं.-0771-2221766 एवं नं.-0771-2511549 email-handloomraipur@gmail.com

क्र./हा./बि.म.पु.यो./2024-25/

नया रायपुर दिनांक .07.2024

स्व. श्री बिसाहूदास मंहत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजना वर्ष 2023-24 हेतु प्रविष्टियों का आमंत्रण हेतु विज्ञापन सूचना

छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के हाथकरघा वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान करने तथा बुनकरों की कल्पनाशीलता योग्यता, तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्व. श्री बिसाहूदास मंहत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजना की स्थापना की गयी है।

स्व. श्री बिसाहूदास मंहत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश के बुनकरों से आवेदन सहित दिनांक 03.09.2024 को सायं 4:00 बजे तक प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

संयुक्त संचालक

ग्रामोद्योग हाथकरघा

छत्तीसगढ़ रायपुर

स्व.श्री बिसाहूदास मंहत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजना वर्ष 2023-24 के लिए प्रविष्टियां प्रस्तुत करने बाबत आवेदन पत्र का प्रारूप

पुरस्कार का स्वरूप:-

श्री बिसाहूदास मंहत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजना अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 02 बुनकरों को पुरस्कार राशि एक-एक लाख रुपये के मान से कुल राशि ₹. 2.00 लाख (अक्षरी राशि ₹. दो लाख रुपये मात्र) नगद पुरस्कार तथा प्रतीक चिन्ह शॉल एवं श्रीफल दिया जावेगा। यह पुरस्कार निर्णायक मंडल द्वारा चयनित सर्वश्रेष्ठ दो बुनकरों को दिया जावेगा।

प्रविष्टियाँ:-

प्रदेश हाथकरघा बुनकरों के द्वारा किसी भी प्रकार के धागों पर पारम्परिक/आधुनिक डिजाइन में विभिन्न रंगों के संयोजन/रंग विहिन के साथ बुने गये सभी प्रकार के वस्त्र शामिल होंगे। उक्त पुरस्कार योजना में हाथकरघा कोसा/रेशम के अतिरिक्त अन्य वस्त्रों की प्रविष्टियाँ मान्य नहीं होंगी।

पुरस्कार हेतु मुख्य नियम व शर्तें:-

1. प्रविष्टि प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु का बंधन नहीं है।
3. प्रस्तुत प्रविष्टि, आवेदक द्वारा हाथकरघा पर स्वयं के द्वारा बुनाई की गयी हो, इस संबंध में निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र में उल्लेख करना होगा।
4. एक आवेदक का एक ही प्रविष्टि स्वीकार्य की जावेगी।
5. पूर्व पुरष्कृत प्रविष्टि इस योजनांतर्गत पुरस्कार हेतु ग्राह्य नहीं होगी। इस योजनांतर्गत प्रविष्टि प्रथम बार प्रस्तुत करने के संबंध में आवेदक को रूपये 50/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
6. कोई भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/सहकारी संस्था/संघ के कर्मचारी इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।
7. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि के प्रस्तुतकर्ता का होगा।
8. पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार्य नहीं होगी।

आवेदन कैसे करें:-

इच्छुक आवेदक अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र, प्रपत्र व पुरस्कार के विस्तृत नियम एवं शर्तें जिला हाथकरघा कार्यालय रायपुर/दुर्गा/राजनांदगांव/जगदलपुर/महासमुंद/बिलासपुर/जांजगीर-चांपा/रायगढ़/अंबिकापुर/बालोद/गरियाबंद/बलौदाबाजार/कोरबा से आवेदन पत्र व प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक अपनी प्रविष्टि बंद लिफाफे में आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र सहित अपने जिले के कलेक्टर, के माध्यम से अथवा संबंधित जिला हाथकरघा कार्यालय अथवा संचालक, ग्रामोद्योग हाथकरघा संचालनालय हाथकरघा इन्द्रावती भवन, चतुर्थ तल, ब्लॉक-ए, नया रायपुर छत्तीसगढ़ में जमा कर सकते हैं। पुरस्कार हेतु प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 03.09.2024 को सायं 4:00 बजे तक है। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त प्रविष्टि पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्रविष्टि के ऊपर स्व. श्री बिसाहूदास मंहत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजना 2023-24 तथा आवेदक नाम व पूर्ण पता अंकित किया जाना अनिवार्य है।

(संचालक, ग्रामोद्योग द्वारा अनुमोदित)

प्रति,

संचालक,

ग्रामोद्योग संचालनालय,

हाथकरघा प्रभाग,

छत्तीसगढ़, रायपुर।

नवीनतम पासपोर्ट

साईज फोटो

चस्पा करें।

द्वारा :- कलेक्टर, जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश।

विषय:- राज्य स्तरीय स्व.श्री बिसाहूदास मंहत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजना वर्ष 2023-24 में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

राज्य स्तरीय स्व.श्री बिसाहूदास मंहत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजना वर्ष 2023-24 में सम्मिलित होने बाबत आवेदन-पत्र वस्त्र का नमूना (प्रविष्टि) प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मुझसे संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

- 1) बुनकर का नाम एवं पूर्ण पता :
- (छत्तीसगढ़ मूल निवासी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें) :
- 2) उम्र (जन्म तिथि सहित अंकित करें) :
- (जन्म प्रमाण पत्र/शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/सरपंच का प्रमाण पत्र) जो उपलब्ध हो, संलग्न करें।
- 3) गुरु अथवा शिक्षक का नाम व पता :
- (जिससे बुनाई का प्रशिक्षण मिला है)
- 4) हाथकरघा बुनाई से संबंधित अनुभव : वर्ष
- 5) वर्तमान मासिक आय : रूपये
- 6) यदि पूर्व में कोई पुरस्कार मिला हो तो उसका विवरण :
- 7) क्या वस्त्र बुनकर द्वारा स्वयं निर्मित किया गया है एवं उक्त प्रविष्टि, पुरस्कार हेतु प्रथम बार प्रस्तुत किया जा रहा है (स्टॉप पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें)
- 8) पुरस्कार हेतु प्रस्तुत की जा रही प्रविष्टि का विस्तृत विवरण :

क्रमशः

वस्त्र का नाम/विवरण	साईज	मूल्य
9) प्रविष्टि की विशेषता		
10) अन्य जानकारी जो बुनकर देना चाहे		
11) पुरस्कार प्राप्त करने नहीं आ पाने की दशा में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नामांकित व्यक्ति का नाम, पता व रिश्ता		

आवेदक बुनकर के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त प्रविष्टि मेरे स्वयं के द्वारा हाथकरघा पर बुनाई की गई है। मैं इसे मेरी जिम्मेदारी पर स्व.श्री बिसाहूदास मंहत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजना वर्ष 2023-24 की प्रविष्टि हेतु दे रहा/रही हूँ। इसके रख रखाव में किसी भी प्रकार त्रुटि होने पर मैं किसी भी प्रकार का दावा नहीं करूँगा/करूँगी। चयन समिति द्वारा उक्त पुरस्कार हेतु लिया गया अंतिम निर्णय मुझे मान्य होगा।

दिनांक:-

आवेदक बुनकर के हस्ताक्षर

नाम:-

पता:-

स्व.श्री बिसाहूदास मंहत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजना वर्ष 2023-24 हेतु प्रविष्टि प्रस्तुत करने बाबत शपथ पत्र का प्रारूप

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति श्रीनिवासी ग्राम तहसीलजिलाप्रदेश....., सत्य निष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ और वचन देता/देती हूँ कि स्व.श्री बिसाहूदास मंहत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजना वर्ष 2023-24 के लिये मेरे द्वारा प्रस्तुत यह प्रविष्टि (वस्त्र का नाम व किस्म)मेरे स्वयं के द्वारा हाथकरघा पर बुना गया है, और मैं विगतवर्षों से हाथकरघा पर वस्त्र बुनाई का कार्य व्यक्तिगत/..... बुनकर सहकारी समिति मर्याके माध्यम से करता आ रहा/रही हूँ। प्रस्तुत की जा रही प्रविष्टि पूर्व पुरस्कृत नहीं है तथा पुरस्कार हेतु प्रथम बार प्रस्तुत की जा रही है।

मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि उपर्युक्त कथन असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित कार्यवाही के लिये मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि अपने जोखिम और उत्तरदायित्व पर स्व.श्री बिसाहूदास मंहत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजना वर्ष 2023-24 के लिये अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। इस दौरान यदि इस मद के लिए लाने ले जाने में अथवा किसी अप्रत्याशित कारण से कोई नुकसान/चोरी आदि होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, शासन की नहीं होगी। योजना की समस्त नियम व शर्तें मुझे मान्य हैं।

पुरस्कार हेतु चयन होने की दशा में मैं पुरस्कार ग्रहण करने की सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

पूरा नाम

पता

हस्ताक्षर

दिनांक

नोट:- उक्त शपथ पत्र 50/- के स्टॉप पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

आर.ओ.69/जी- 242501480/5

कार्यालय कलेक्टर, जिला सुकमा (छ.ग.)

(आदिवासी विकास शाखा)

फोन फैक्स नंबर-07864-284666, ईमेल actwd.cgsukma@gmail.com

क्रमांक/आ.वि./छा.आ./स्व. तन-स्व.मन/2024-25/958 सुकमा, दिनांक 25.07.2024

कार्यालय कलेक्टर, (आदिवासी विकास शाखा) सुकमा की ओर से विभागीय छात्रावास एवं आश्रम शालाओं में शिक्षा सत्र 2024-25 में प्रवेशित एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति "स्वस्थ-तन-स्वस्थ मन" (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना के तहत योग्य एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस. उपाधि प्राप्त निजी प्रेक्टिसनर चिकित्सकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12.08.2024 होगी। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

चिकित्सकों का चयन योजना हेतु गठित, चिकित्सक चयन समिति द्वारा अभिलेखों के परीक्षण पश्चात् किया जायेगा। योजनान्तर्गत 50 सीटर छात्रावास/आश्रम के लिए प्रति भ्रमण 750/- रुपये एवं 100 सीटर छात्रावास/आश्रम शालाओं के लिए प्रति भ्रमण 1200/- रुपये का मानदेय देय होगा। योजना से संबंधित अन्य जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास सुकमा

आर.ओ.64/जी- 242501421/4

कार्यालय कलेक्टर, जिला सुकमा (छ.ग.)

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

ईमेल आईडी: emhobb2012@gmail.com दूरभाष नं. -07727-223550

क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2024-25/24044 बलौदाबाजार, दिनांक 29/07/2024

//सूचना//

कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक/ एन. एच. एम./ एच. आर. /NS-2711/ 2023-24/ 4140 बलौदाबाजार, दिनांक 01.06.2023 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत बलौदाबाजार जिले में विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा भर्ती किये जाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिसकी प्रारंभिक पात्र-अपात्र की सूची 13/03/2024 को जारी किया गया था तत्पश्चात दावा-आपत्ति निराकरण उपरांत पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जिले की विभागीय वेबसाइट में प्रकाशित किया गया है।

अतः उक्त संबंध में दावा-आपत्ति निराकरण सूची एवं पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की अंतिम सूची की जानकारी हेतु जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के वेबसाइट www.balodabazar.gov.in अथवा कार्यालयीन सूचना पटल का अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

आर.ओ.68/जी- 242501455/3

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र

अरण्य भवन, द्वितीय तल, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

फोन: 0771-2512888 ई मेल: chhattisgarh.sccc@gmail.com

// संशोधित सूचना //

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु ईकोरिस्टोरेशन नीति (Ecorestoration Policy) का निर्माण किया जा रहा है। नीति का प्रारूप कार्यालयीन Web-site www.cgclimatechange.com एवं www.forest.cg.gov.in पर उपलब्ध है। एतद् द्वारा समस्त आमजनों, अनुसंधानकर्ताओं, विषय विशेषज्ञों आदि से उक्त ईकोरिस्टोरेशन नीति (Ecorestoration Policy) को अंतिम स्वरूप दिये जाने हेतु सुझाव प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि को दिनांक 30.08.2024 तक बढ़ाया जाता है। आप अपने सुझाव कार्यालयीन ई मेल: chhattisgarh.sccc@gmail.com पर अथवा अधोहस्ताक्षरकर्ता को डाक के माध्यम से दिनांक 30.08.2024 तक उपलब्ध करा सकते हैं।

अ.प्र.मु.व.सं एवं नोडल अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र
अरण्य भवन, नवा रायपुर छ.ग.

कार्यालय प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था विश्रामपुरी, जिला – कोण्डागांव (छत्तीसगढ़)

ईमेल:iti.vishrampuri@yahoo.in

क्रमांक/औप्रसं/विश्रा./स्था/मे.प्र.भर्ती/2024/319

विश्रामपुरी, दिनांक 19/07/2024

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नं0-4, प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर के आदेशानुसार औ. प्र. संस्था विश्रामपुरी, जिला कोण्डागांव, नोडल अंतर्गत संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध व्यवसायों/विषयों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2024-2025 के लिये मेहमान प्रवक्ता (Guest Lecturer) हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं उपस्थिति के माध्यम से कार्यालय नोडल अधिकारी/प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, विश्रामपुरी, जिला कोण्डागांव (छ.ग.) 494347 में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 10/08/2024 को सायं 5:00 बजे तक है। पदों की जानकारी एवं शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएँ, निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है:-

1. पदों की जानकारी:-

क्र.	व्यवसाय/विषय का नाम	औ.प्र.सं. विश्रामपुरी	औ.प्र.सं. माकड़ी	कुल
1	वर्कशॉप कैल्कुलेशन एंड साइंस/इंजीनियरिंग ड्राइंग	01	01	02
2	इंग्लिश लैंग्वेज एवं कम्युनिकेशन स्किल	01	00	01
3	फिटर	00	01	01
महायोग		02	02	04

मेहमान प्रवक्ता के आवेदन हेतु नियम/शर्तें/योग्यता/आवेदन का प्रारूप एवं अन्य जानकारी संस्था के सूचना पटल पर देखी/प्राप्त की जा सकती है, एवं जिला –कोण्डागांव के वेबसाइट <http://kondagaon.gov.in> पर भी देखी/प्राप्त की जा सकती है।

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता:-

क्र.	व्यवसाय का नाम	संस्था का नाम	पदों की संख्या	वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता
1	वर्कशॉप कैल्कुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग	औ.प्र. संस्था विश्रामपुरी/माकड़ी	02 (1-1)	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. अभ्यर्थी ड्राफ्टमेन मैकेनिकल में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण 3. अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.डी.टी.आई./आर.डी.टी.आई./टी.ओ.टी. उत्तीर्ण हो।
2	इंग्लिश लैंग्वेज एवं कम्युनिकेशन स्किल	औ.प्र. संस्था विश्रामपुरी/माकड़ी	01	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में बी०एड० परीक्षा उत्तीर्ण।
3	फिटर	औ० प्र० सं० माकड़ी	01	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. अभ्यर्थी संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण, 3. अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.डी.टी.आई./आर.डी.टी.आई./टी.ओ.टी. उत्तीर्ण हो।
कुल पद			04	

3. अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :-

- जिन पदों के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (परीक्षा) की अंकसूची के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
- सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।
- मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरान्त यदि वह निर्धारित की गई अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त माना जा कर प्रतीक्षा सूची के अगले आवेदक को नियमानुसार अवसर दिया जावेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जावेगा।
- आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र/इंजीनियरिंग में उपाधि/इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र/अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।

नियम एवं शर्तें

- प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
- प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक हैं उन पदों के लिये एक वर्षीय सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण-पत्रधारी अभ्यर्थियों के एटीआई/सीटीआई के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जावेगा। सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
- मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
- शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं/व्यवसायों/विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
- पृथक-पृथक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा।
- मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रतिघंटा 140/- (एक सौ चालिस रुपये) की दर से प्रतिकार्य दिवस अधिकतम पांच घंटे का मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम 15,000/- रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) मानदेय देय होगा। जो कि समय-समय पर शारान द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। मेहमान प्रवक्ता को माह के कार्य दिवसों में एक दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर निर्धारित मानदेय से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
- आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होंगे। शासकीय अवकाश का छोड़कर अन्य अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

क्रमशः



- पदों की संख्या घटाई बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय/विषय के लिये तैयार की गई अनुमोदित सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल अधिकारी निर्णय ले सकेंगे यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रशिक्षण सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तक अन्य जिलों की अनुमोदित सूची से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।
- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर/समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- आवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में दिनांक 10.08.2024 को सायं 5:00 बजे तक अथवा इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, विश्रामपुरी, जिला कोण्डागांव (छ.ग.) पिन-494347 में जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर/आवेदन प्रपत्र में संस्था एवं व्यवसाय का नाम उल्लेख करना आवश्यक है।
- आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01.01.2024 स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए वांछित प्रमाण-पत्रों जैसे शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, तकनीकी योग्यता, एटीआई/सीटीआई एवं निवास प्रमाण-पत्र तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र जिनके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है।
- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इस संबंध में उम्मीदवारों को सूचना नहीं दी जायेगी।
- मेहमान प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित की गई अवधि तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद चयन अनुमोदन सूची के अगले सरल क्रमांक को अवसर दिया जावेगा तथा इसी क्रम से अन्य आवेदकों को अवसर दिया जावेगा।
- चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नंबर सही एवं स्पष्ट उल्लेखित करें। दिये गये मोबाईल नंबर पर संपर्क न होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र जैसे-राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र/इंजीनियरिंग में उपाधि/इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र/अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।

उक्त कार्यवाही द्वारा नियुक्त मेहमान प्रवक्ता माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर केस डब्ल्यू० पी० एस० 4836/2020 के संबंध में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

नोडल अधिकारी
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था विश्रामपुरी
जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्राचार्य/नोडल अधिकारी
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, विश्रामपुरी
जिला- कोण्डागांव (छ0ग0) 494347

**स्व-प्रमाणित
फोटो**

विषय :-मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

मेहमान प्रवक्ता हेतु निम्नांकित विवरणों के साथ आवेदन प्रस्तुत है:-

आवेदित पद एवं व्यवसाय का नाम :.....

- आवेदित संस्था का नाम :.....
(जिसके लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे है।)
- आवेदक का नाम :.....
 - पिता/पति का नाम :.....
 - माता का नाम :.....
 - जाति :.....वर्ग.....
 - जन्मतिथि (अंको में) :.....
(शब्दों में) :.....
 - पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :.....
 - दूरभाष/मोबाईल नंबर :.....
 - स्थायी निवास का पूर्ण पता :.....
 - सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण (हाँ/नहीं) :.....
 - शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता विवरण :-

क्र.	परीक्षा का नाम	मण्डल/बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ आई.टी.आई.	विषय/ व्यवसाय	श्रेणी	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

टीपः प्रत्येक संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे।

12. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-
- 1.....
 - 2.....
 - 3.....
 - 4.....
 - 5.....
 - 6.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

// शपथ-पत्र //

उक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जो कि पूर्णतः सत्य है एवं मैं सहमत हूँ कि :-

1. मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ०ग० रायपुर द्वारा निर्धारित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित/लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करुंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण-पत्र सही है एवं सत्य है, यदि जानकारी अथवा प्रमाण-पत्र गलत पाये जाते हैं, तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
3. मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा/करुंगी तथा यह चयन इस सत्र के लिये या आवश्यकता रहने तक या नियमित/स्थानान्तरित/संविदा कर्मचारी की पद स्थापना होने पर रहेगी, जिससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ।
4. मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करुंगी।
5. मैं एक से अधिक संस्था/व्यवसाय/विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था/व्यवसाय/विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊंगा/जाऊंगी। दूसरे संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये चयन स्वयमेव निरस्त समझा जावेगा।
6. मैं शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों/निर्देशों तथा नियमों का पालन करूंगा/करुंगी।

स्थान :.....

तारीख :.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम :.....

पत्र व्यवहार का पता:.....

मोबाइल नंबर:.....

कार्यालय अधीक्षक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केशकाल जिला – कोण्डागांव (छ.ग.)

ईमेल itikski@gmail.com

क्रमांक/औप्रसं/केश./स्था./मे0प्र0/2024/ 424

केशकाल दिनांक 22.07.2024

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नं.-4, प्रथम तल, अटल नगर, रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर के आदेश क्रमांक- 248 दिनांक 12/03/2024 के अनुपालन में जिला कोण्डागांव में संचालित विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध व्यवसायों/विषयों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2024-25 के लिये मेहमान प्रवक्ता (Guest Lecturer) हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं उपस्थिति के माध्यम से कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, केशकाल जिला कोण्डागांव छ०ग० 494331 में आवेदन जमा/प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 12.08.2024 को अपरान्ह 5:00 बजे तक है। पदों की जानकारी एवं शैक्षणिक तकनीकी योग्यताएँ, निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है

1. पदों की जानकारी :-

क्र.	व्यवसाय/विषय का नाम	औ.प्र.सं. धनोरा	कुल
1	2	3	4
02	स्टेनोग्राफी (हिन्दी)	01	01
कुल योग			01

मेहमान प्रवक्ता के आवेदन हेतु नियम/शर्तें/योग्यता/आवेदन का प्रारूप एवं अन्य जानकारी संस्था के सूचना पटल पर देखी/प्राप्त की जा सकती है, एवं जिला कोण्डागांव के वेबसाईट <http://kondagaon.gov.in> पर देखी/प्राप्त की जा सकती है।

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता:-

क्र.	व्यवसाय का नाम	संस्था का नाम	पदों की संख्या	वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता
1	स्टेनोग्राफी (हिन्दी)	आईटीआई धनोरा	01	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्ट-हेण्ड) में 100 शब्द प्रतिमिनट की गति। (गति के लिये कौशल परीक्षा लिया जावेगा।) 3. अधिकतम-अभ्यर्थी जो डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से एटीआई/सीटीआई/एन.व्ही.टी.आई/आर.व्ही.टी./आई टॉट से उत्तीर्ण हो। 4. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरटर प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 KEY डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा लिया जावेगा)।

3. अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :-

- (क) जिन पदों के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के एटीआई/सीटीआई (परीक्षा) की तकनीकी योग्यता (आई.टी.आई./डिप्लोमा/डिग्री) परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्राथमिकता देते हुए मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
- (ख) सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।
- (ग) आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/इंजीनियरिंग में उपाधि/इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की

स्थिति में जिस प्रमाण पत्र अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी।

नियम एवं शर्तें

- आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें जो कि कार्यालय अधीक्षक, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केशकाल जिला-कोण्डागांव (छ.ग.) से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों का भली-भाँति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।
- प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी।
- प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एक वर्षीय सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आई.टी.आई./डिप्लोमा/डिग्री) प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जावेगा। सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जाएगी।
- मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
- शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं/व्यवसायों/विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
- पृथक-पृथक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा।
- संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रतिघंटा 140/- (एक सौ चालीस रुपये) की दर से प्रति कार्यदिवस अधिकतम पांच घंटे के मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम 15,000/- रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) मानदेय देय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। मेहमान प्रवक्ता को माह के कार्यदिवसों में एक दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर निर्धारित मानदेय से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
- मेहमान प्रवक्ताओं हेतु शासन द्वारा निर्धारित मद में बजट उपलब्ध होने पर ही मानदेय भुगतान किया जावेगा।
- आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होंगे। शासकीय अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- पदों की संख्या घटाई-बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय/विषय के लिये तैयार की गई अनुमोदित सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल अधिकारी निर्णय ले सकेंगे यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतिक्षा सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो अन्य जिलों की अनुमोदित सूची से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।
- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर/समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- आवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में दिनांक 12.08.2024 को सायं 5:00 बजे तक अथवा

क्रमशः

इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, केशकाल जिला - कोण्डागांव छ0ग0 494331 में जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर/आवेदन प्रपत्र में संस्था एवं व्यवसाय का नाम उल्लेख करना आवश्यक है।

- आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01/01/2024 की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए वांछित प्रमाण-पत्रों जैसे- शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, तकनीकी योग्यता, एटीआई/सीटीआई एवं निवास प्रमाण-पत्र तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र जिनके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है।
- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इस संबंध में उम्मीदवारों को सूचना नहीं दी जायेगी।
- मेहमान प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित की गई अवधि तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद चयन अनुमोदन सूची के अगले सरल क्रमांक को अवसर दिया जावेगा तथा इसी क्रम से अन्य आवेदकों को अवसर दिया जावेगा।
- चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नंबर सही एवं स्पष्ट उल्लेखित करें। दिये गये मोबाईल नंबर पर संपर्क न होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र जैसे- राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र/इंजीनियरिंग में उपाधि इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण-पत्र/अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।

उक्त कार्यवाही द्वारा नियुक्त मेहमान प्रवक्ता माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर केस डब्ल्यू०पी०एस० 4836/2020 के संबंध में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

प्राचार्य/नोडल अधिकारी/अधीक्षक,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केशकाल
जिला कोण्डागांव (छ.ग)

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित संस्था का नाम :
(जिसके लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।)
आवेदित पद एवं व्यवसाय का नाम :

प्रति,

प्राचार्य/अधीक्षक
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, केशकाल
जिला- कोण्डागांव (छ0ग0)

स्व-प्रमाणित
फोटो

विषय :-मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र ।

महोदय,

मेहमान प्रवक्ता हेतु निम्नांकित विवरणों के साथ आवेदन प्रस्तुत है:-

- आवेदक का नाम :
- पिता/पति का नाम :
- माता का नाम :
- जाति :वर्ग.....
- जन्मतिथि (अंको में) :
- (शब्दों में) :
- पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :
- दूरभाष/मोबाईल नंबर :
- स्थायी निवास का पूर्ण पता :

- सी.टी.आई./ए.टी.आई.
एन.व्ही.टी.आई/आर.व्ही.टी.आई/
आई.टॉट उत्तीर्ण: (हाँ/नहीं) :

10. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता विवरण :-

क्र.	परीक्षा का नाम	मण्डल/बोर्ड/ विश्वविद्यालय/आई.टी.आई.	विषय/व्यवसाय	श्रेणी	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

टीप: 1) प्रत्येक संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे।

2) योग्यता से संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों को स्वयं द्वारा सत्यापित कर संलग्न करें।

12. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1.....2.....3.....4.....5.....6.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

// शपथ-पत्र //

उक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जो कि पूर्णतः सत्य है एवं मैं सहमत हूँ कि :-

- मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ०ग० रायपुर द्वारा निर्धारित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित/लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
- मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण-पत्र सही है एवं सत्य है, यदि जानकारी अथवा प्रमाण-पत्र गलत पाये जाते हैं, तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
- मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा/करूंगी तथा यह चयन इस सत्र के लिये या आवश्यकता रहने तक या नियमित/स्थानान्तरित/संविदा कर्मचारी की पद स्थापना होने पर रहेगी, जिस हेतु मैं पूर्णतः सहमत हूँ।
- मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी।
- मैं एक से अधिक संस्था/व्यवसाय/विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था/व्यवसाय/विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊंगा/जाऊंगी। दूसरे संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये चयन स्वयमेव निरस्त समझा जावेगा।
- मैं शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों/निर्देशों तथा नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

स्थान :

तारीख :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम :

पत्र व्यवहार का पता:

.....

मोबाइल नंबर.....

कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक

जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर बस्तर 494001 छत्तीसगढ़

दूरभाष (कार्या.) 07782-222006 निवास 227634 फैक्स: 07782-222120

E-mail ccfjagdalpur@rediffmail.com

वि.सू./क्र./1995

दिनांक 01.08.2024

वनरक्षक (खेल कोटा) के पद पर सीधी भर्ती के अपात्र अभ्यर्थियों द्वारा दावा अपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 12.08.2024

छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जगदलपुर वन वृत्त को आबंटित वन रक्षक (खेल कोटा) के 07 पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में प्रारंभिक प्रक्रिया वृत्त स्तर में करने के पश्चात पात्र एवं अपात्र पाये गये प्रतिभागियों की सूची विभागीय वेबसाइट <https://forest.cg.gov.in> पर उपलब्ध है।

अतः उपरोक्त सूची के अपात्र प्रतिभागियों को दावा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु अंतिम तिथि 12.08.2024 तक नियत की जाती है।

मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

आर.ओ.75 / 242501550 / 3

छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति, संचालनालय महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-01, द्वितीय तल, नया रायपुर, 492002

दूरभाष क्रमांक 0771-2234192, 2234188 (Fax), E-Mail: dirwcd.cg@nic.in

मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार मिशन वात्सल्य योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति के विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 23.08.2024 तक आवेदन आमंत्रित है। उक्त पदों पर भर्ती के लिये आवेदन संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना होगा। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :-

1. जिला बाल संरक्षण इकाई (गौरेला-पेंड्रा मरवाही, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़- बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं सक्ती) में रिक्त पदों का विवरण :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रुपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
जिला बाल संरक्षण इकाई- गौरेला-पेंड्रा-मरवाही							
1	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	01	0	0	0	1	44023/-
2	संरक्षण अधिकारी - संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/-
3	संरक्षण अधिकारी- गैर संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/-
4	विधिक सह परीवीक्षा अधिकारी	01	0	0	0	1	27804/-
5	परामर्शदाता	01	0	0	0	1	18536/-
6	सामाजिक कार्यकर्ता	01	02 (01 महिला)	0	0	3	18536/-
7	लेखापाल	01	0	0	0	1	18536/-
8	डाटा एनालिस्ट	01	0	0	0	1	18536/-
9	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	0	0	0	1	13240/-
10	आउटरीच वर्कर	01	03	0	01	5	10592/-
जिला बाल संरक्षण इकाई- मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी							
1	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	01	0	0	0	1	44023/-
2	संरक्षण अधिकारी - संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/-
3	संरक्षण अधिकारी- गैर संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/-
4	विधिक सह परीवीक्षा अधिकारी	01	0	0	0	1	27804/-
5	परामर्शदाता	01	0	0	0	1	18536/-
6	सामाजिक कार्यकर्ता	02 (01 महिला)	01	0	0	3	18536/-
7	लेखापाल	01	0	0	0	1	18536/-
8	डाटा एनालिस्ट	01	0	0	0	1	18536/-
9	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	0	0	0	1	13240/-
10	आउटरीच वर्कर	02	01	01	01	5	10592/-
जिला बाल संरक्षण इकाई- खैरागढ़-छुईखदान-गंडई							
1	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	01	0	0	0	1	44023/-
2	संरक्षण अधिकारी - संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/-

3	संरक्षण अधिकारी- गैर संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/-
4	विधिक सह परीवीक्षा अधिकारी	01	0	0	0	1	27804/-
5	परामर्शदाता	01	0	0	0	1	18536/-
6	सामाजिक कार्यकर्ता	01	02 (01 महिला)	0	0	3	18536/-
7	लेखापाल	01	0	0	0	1	18536/-
8	डाटा एनालिस्ट	01	0	0	0	1	18536/-
9	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	0	0	0	1	13240/-
10	आउटरीच वर्कर	01	03	0	01	5	10592/-
जिला बाल संरक्षण इकाई- सारंगढ़-बिलाईगढ़							
1	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	01	0	0	0	1	44023/-
2	संरक्षण अधिकारी - संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/-
3	संरक्षण अधिकारी- गैर संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/-
4	विधिक सह परीवीक्षा अधिकारी	01	0	0	0	1	27804/-
जिला बाल संरक्षण इकाई- सक्ती							
1	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	01	0	0	0	1	44023/-
2	संरक्षण अधिकारी - संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/-
3	संरक्षण अधिकारी- गैर संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/-
4	विधिक सह परीवीक्षा अधिकारी	01	0	0	0	1	27804/-
5	परामर्शदाता	01	0	0	0	1	18536/-
6	सामाजिक कार्यकर्ता	01	01 (महिला)	01	0	3	18536/-
7	लेखापाल	01	0	0	0	1	18536/-
8	डाटा एनालिस्ट	01	0	0	0	1	18536/-
9	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	0	0	0	1	13240/-
10	आउटरीच वर्कर	02	01	01	01	5	10592/-
जिला बाल संरक्षण इकाई- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर							
1	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	01	0	0	0	1	44023/-
2	संरक्षण अधिकारी - संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/-
3	संरक्षण अधिकारी- गैर संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/-
4	विधिक सह परीवीक्षा अधिकारी	01	0	0	0	1	27804/-
5	परामर्शदाता	01	0	0	0	1	18536/-
6	सामाजिक कार्यकर्ता	01	01 (महिला)	0	01	3	18536/-
7	लेखापाल	01	0	0	0	1	18536/-
8	डाटा एनालिस्ट	01	0	0	0	1	18536/-
9	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	0	0	0	1	13240/-
10	आउटरीच वर्कर	02	02	0	01	5	10592/-

2. किशोर न्याय बोर्ड (गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं सक्ती) में रिक्त पदों का विवरण :-

क्र.	जिला	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित मासिक वेतनमान
			अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1.	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपररेटर	01	0	0	0	1	11916/-
2.	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी		01	0	0	0	1	
3.	सारंगढ़-बिलाईगढ़		01	0	0	0	1	
4.	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर		01	0	0	0	1	
5.	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई		01	0	0	0	1	
6.	सक्ती		01	0	0	0	1	

3. बालक कल्याण समिति (गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं सक्ती) में रिक्त पदों का विवरण :-

क्र.	जिला	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित मासिक वेतनमान
			अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1.	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपररेटर	01	0	0	0	1	11916/-
2.	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी		01	0	0	0	1	
3.	सारंगढ़-बिलाईगढ़		01	0	0	0	1	
4.	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर		01	0	0	0	1	
5.	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई		01	0	0	0	1	
6.	सक्ती		01	0	0	0	1	

4. जिला बाल संरक्षण इकाई हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव :-

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाजशास्त्र/बाल विकास/मानवाधिकार/लोक प्रशासन/मनोविज्ञान/मनोचिकित्सा/विधि/जन स्वास्थ्य/सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 03 वर्ष का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।
2	संरक्षण अधिकारी - संस्थागत देखरेख	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाजशास्त्र/बाल विकास/मानवाधिकार/लोक प्रशासन/मनोविज्ञान/मनोचिकित्सा/विधि/जन स्वास्थ्य/सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री होने की स्थिति में महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 02 वर्ष का अनुभव।	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वांछित विषयों में स्नातक योग्यताधारी के लिए महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 02 वर्ष का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।
3	संरक्षण अधिकारी-गैर संस्थागत देखरेख	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाजशास्त्र/बाल विकास/मानवाधिकार/लोक प्रशासन/मनोविज्ञान/मनोचिकित्सा/विधि/जन स्वास्थ्य/सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री होने की स्थिति में महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 02 वर्ष का अनुभव।	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वांछित विषयों में स्नातक योग्यताधारी के लिए महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 02 वर्ष का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।
4	विधिक सह परीवीक्षा अधिकारी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में सरकारी/एनजीओ/विधि मामलों के साथ काम करने का कम से कम 02 साल का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और संरक्षण की मुद्दों की अच्छी समझ।
5	परामर्शदाता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/जन स्वास्थ्य/काउंसलिंग में स्नातक एवं काउंसलिंग और संचार में पीजी डिप्लोमा	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकारी/एनजीओ के साथ काम करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।
6	सामाजिक कार्यकर्ता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाजशास्त्र/सामाजिक क विज्ञान में स्नातक।	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferably) महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव।	-

7	लेखापाल	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/गणित विषय में स्नातक एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से टेली कोर्स का प्रमाण-पत्र।	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस तथा कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। टेली पर कमांड होना चाहिए।	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferably) महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव।
8	डाटा एनालिस्ट	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित/अर्थशास्त्र/कम्प्यूटर में स्नातक।	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/टेली तथा कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferably) महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव।
9	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपररेटर	कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष बोर्ड से 12 वीं उत्तीर्ण	हिन्दी में 8000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति। अंग्रेजी में 8000 (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति।	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferably) महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव। अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर पर कार्य करने का अनुभव/दक्षता अथवा अंग्रेजी टाईपिंग उत्तीर्ण
10	आउटरीच वर्कर	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष बोर्ड से 12 वीं उत्तीर्ण	अच्छा संचार कौशल	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferably) महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव।

5. किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव :-

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपररेटर (किशोर न्याय बोर्ड)	कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष बोर्ड से 12 वीं उत्तीर्ण	हिन्दी में 8000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति। अंग्रेजी में 8000 (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति।	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferably) महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव।	अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर पर कार्य करने का अनुभव/दक्षता अथवा अंग्रेजी टाईपिंग उत्तीर्ण
2	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपररेटर (बालक कल्याण समिति)	कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष बोर्ड से 12 वीं उत्तीर्ण	हिन्दी में 8000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति। अंग्रेजी में 8000 (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति।	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferably) महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव।	अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर पर कार्य करने का अनुभव/दक्षता अथवा अंग्रेजी टाईपिंग उत्तीर्ण

टीप: पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है।

6. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

7. आयु सीमा-

7.1 सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

7.2 सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देश लागू होंगे।

7.3 आयु के प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण-पत्र या 10वीं की अंक सूची मान्य होगा।

8. निवास :- अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

9. पदों हेतु आरक्षण:-संविदा नियुक्ति के लिए छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी नियम/निर्देश लागू होंगे। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

11. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

टीप :- कांडिका-10 एवं 11 के संबंध में चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :-

12.1 अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियुक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण-पत्र

- मान्य होंगे।
- 12.2 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
- 12.3 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
टीप : आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी (कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) का निर्णय अंतिम होगा।
13. प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा (जहां लागू हो) के आधार पर चयन सूची तैयार किया जावेगा।
14. नियुक्ति प्राधिकारी:- जिला स्तरीय पदों के लिए जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे।
15. अंकीय प्रणाली:- निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रावीण्य सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जायेगा। मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार होगी :-
- 15.1 अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत पर 70 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।
- 15.2 निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा किंतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के पश्चात् प्रत्येक 01 वर्ष के अनुभव पर 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।
- 15.3 उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- 15.4 व्यक्तिगत साक्षात्कार या कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा दोनों रखा जायेगा वहां कौशल परीक्षा के लिए 10 अंक तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 10 अंक होंगे।
- 15.5 अभ्यर्थियों के प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जावेगी। यदि उम्र भी समान हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।
16. उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 15 के उप कंडिका 15.1 एवं 15.2 पर प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु प्रावीण्य सूची में से प्रत्येक पद के लिए एक अनुपात पांच (1:5) के अनुपात में व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा।
- 16.1 जिला बाल संरक्षण इकाई के पदों में से जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख), संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख), विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता के पदों के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जावेगा, इसके अतिरिक्त शेष सभी पदों हेतु कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया जावेगा।
- 16.2 चयन समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त अंकों के आधार पर समग्र प्रावीण्य सूची एवं प्रवर्गवार प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। प्रावीण्य सूची में अपने प्रवर्ग में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।
- 16.3 प्रत्येक पद के लिये 25 प्रतिशत अथवा 03 जो भी अधिक हो, अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता, चयन सूची प्रकाशन तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी।
17. नियुक्ति की अवधि :-
- 17.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 03 वर्ष या भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि, जो भी पहले हो, की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा।
- 17.2 जिला बाल संरक्षण इकाई / बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड में कार्य की आवश्यकता होने पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर एक बार में संविदा सेवा अवधि अधिकतम 03 वर्ष के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) द्वारा संविदा अवधि वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा वृद्धि नहीं किये जाने की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
- 17.3 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताये भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- 17.4 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरान्त पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरान्त इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 17.5 नियुक्ति के पश्चात भी यदि नियुक्ति संबंधी अर्हताओं एवं शर्तों का पूरा करना नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- 17.6 उपरोक्त समस्त पदों पर नियुक्त कर्मचारी भारत सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत योजना के स्वीकृत पद है तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देश एवं छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 2489/239/सा./2023/50 दिनांक 04.10.2023 द्वारा जारी राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ की मानव संसाधन नीति 2023 द्वारा शासित होंगे।
18. आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :-
- 18.1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावें। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
- 18.2 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- 18.3 आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे।
- 18.4 आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।
- 18.5 निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- 18.6 आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख सत्यापन में जाली/गलत पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
19. चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा।
20. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाइट www.cgwcd.gov.in एवं WWW.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है।
21. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ई-मेल आईडी व मोबाईल नं. का उल्लेख किया जावे, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सके।
- टीप :-1. दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
2. व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(तुलिका प्रजापति)

संचालक

संचा. महिला एवं बाल विकास विभाग

एवं सचिव राज्य बाल संरक्षण समिति

नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.) क्रमशः

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,
.....
.....
.....

स्वयं अभिप्रमाणित
पासपोर्ट साईज फोटो
पर हस्ताक्षर जिसका
आधा भाग फोटो एवं
आधा आवेदन पत्र में
होना चाहिए चस्पा करें

- आवेदित पद का नाम :
- आवेदक का नाम (हिन्दी में) :
- (अंग्रेजी में) :
- पिता/पति का नाम :
- स्थायी पता :
- (पत्र व्यवहार का पता) :
- दूरभाष/मोबाईल, : ईमेल आईडी-
- जन्मतिथि (अंको में) :
- (शब्दों में) :
- दिनांक 01/01/2024 को आयु :
- लिंग पुरुष/महिला :
- जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति वर्ग:-
- क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है? :-
- विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता:-
- यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि:-
- शैक्षणिक योग्यता (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

- अन्य योग्यता का विवरण:.....
- अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें):.....

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण	वेतन	पद छोड़ने का कारण
		कब से कब तक		

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहें तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

- संलग्नकों की सूची:-
 - छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 - जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
 - 12वीं की अंकसूची
 - स्नातक की अंकसूची
 - स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
 - व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
 - विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र
- अन्य संलग्नकों का विवरण
 -
 -
 -
 -

आवेदक का हस्ताक्षर
आवेदक का नाम.....

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :-
दिनांक :-

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, सेक्टर 19, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला रायपुर (छ.ग.)

॥ सर्व संबंधित को सूचना ॥

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा-संशोधित) के तहत सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सेंट्रल सीमेंट इण्डस्ट्रीज, ग्राम सरोरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा खसरा क्रमांक 807/4 एवं 811, कुल क्षेत्रफल 3.095 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत स्टेड अलोन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट क्षमता 150 टन प्रतिदिन (4,500 टन प्रतिमाह) से बढ़ाकर 1,000 टन प्रतिदिन (30,000 टन प्रतिमाह) के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत लोक सुनवाई दिनांक 29/08/2024 को प्रातः 11:00 बजे से स्थल तिल्दा पीडब्ल्यूडी रोड, एनएच-रायपुर-बिलासपुर हाईवे की ओर, यूनिट ब्रिक्स एंड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के पास (अक्षांश, देशांतर-21.562912, 81.741980) शासकीय रिक्त भूमि ग्राम-सरोरा, विकासखण्ड-तिल्दा, जिला-रायपुर (छ.ग.) में नियत की गई है, में नियत की गई है। यह भी सूचित हो कि :-

- लोक सुनवाई के दौरान सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को फिजिकल/सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
- लोक सुनवाई में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों द्वारा मास्क का उपयोग किया जावेगा तथा समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
- लोक सुनवाई स्थल पर सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की बैठक व्यवस्था कम से कम 02 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
- कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 14 सितम्बर, 2006 (यथा-संशोधित) के अनुसार संबंधित व्यक्तियों के अवलोकन/पठन हेतु ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा तथा सी.डी. (साफ्ट कॉपी) डायरेक्टर, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोर बाग रोड, नई दिल्ली. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.), कार्यालय कलेक्टर रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.), मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला रायपुर (छ.ग.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तिल्दा, जिला - रायपुर (छ.ग.), कार्यालय सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत सरोरा, तहसील - तिल्दा, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, न्यू ऑफिस बिल्डिंग, रिंग रोड नं. 2, टाटीबंध, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है।

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग :: संचालनालय ::

ब्लॉक-डी, भूतल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)
कमांक/आदि०यो०/03/2024-25/4419 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 30/7/2024

गुरु घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान वर्ष 2024 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा अनुसूचित जाति के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति या एक स्वैच्छिक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गुरु घासीदास की स्मृति में प्रदेश स्तर का सम्मान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024 हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित है।

- 1/ सम्मान का स्वरूप :-
उक्त सम्मान के अंतर्गत रूपये दो लाख नगद राशि एवं प्रतीक चिन्ह युक्त प्रशस्ति पट्टिका दिये जाने का प्रावधान है। सम्मान की नगद राशि एक व्यक्ति / संस्था को दी जा सकती है।
- 2/ आवेदन/प्रविष्टियां भेजने की समयावधि तथा स्थल :-
2.1 पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र / प्रविष्टियां समाज सेवी व्यक्ति / संस्था द्वारा बंद लिफाफे में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा दिनांक 29.08.2024 सायं 05:00 बजे तक कार्यालय सचिव, छ.ग. अनुसूचित जाति आयोग शहीद भगत सिंह चौक शंकर नगर रोड पुराना लोक सेवा आयोग परिसर रायपुर छ.ग. में प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त तिथि को निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त प्रविष्टि/आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। डाक संबंधी विलंब के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
- 2.2 नियम की प्रति विभागीय वेबसाइट www.cgtribal.gov.in पर उपलब्ध है।
- 2.3 प्रविष्टियां/आवेदन पत्र के लिफाफे पर गुरु घासीदास स्मृति सम्मान वर्ष 2024 अंकित होना चाहिए।
- 3/ प्रविष्टियां/आवेदन एवं चयन की प्रक्रिया के मापदण्ड: सम्मान के लिए प्रविष्टियां / आवेदन निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत किए जा सकते हैं :-
1. व्यक्ति / संस्था का पूर्ण परिचय।
2. अनुसूचित जाति के लोगों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के लिए किये गये कार्यों के सप्रमाण विस्तृत जानकारी।
3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण।
4. सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इनके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति (सत्यापित)।
5. अनुसूचित जाति के लोगों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य।
6. व्यक्ति/संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का नवीनतम (ताजा) प्रमाण पत्र।
7. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति / संस्था की सहमति।
8. ज्यूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति / संस्था द्वारा व्यक्ति / संस्था के कार्यों के प्रत्यक्ष आकलन के संबंध में सहमति।
9. चयन के लिये नियमों में निर्दिष्ट मापदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होगी।
10. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति / संस्था का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं है।
11. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों / जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।
12. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों / निष्कर्षों / प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टिकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा।
13. संस्था/व्यक्ति को आवेदन में इस आशय की अण्डरटेकिंग देना होगा कि ज्यूरी अथवा उसके किसी भी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्था/व्यक्ति के कार्यों का प्रत्यक्ष आंकलन किया जा सकता है। इस हेतु वे (संस्था/व्यक्ति) सहमत हैं। इसी प्रकार चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने की सहमति देनी होगी।

(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

आर.ओ.70/जी- 242501491/3

कार्यालय, आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग :: संचालनालय ::

ब्लॉक-डी, भूतल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)
कमांक / आदि०यो०/04/2024-25/4425 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30/7/2024

डॉ० भंवर सिंह पोर्ते, आदिवासी सेवा सम्मान वर्ष 2024 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु विज्ञापित

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की सेवा एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली किसी एक स्वैच्छिक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा डॉ० भंवर सिंह पोर्ते, की स्मृति में प्रदेश स्तर का सम्मान स्थापित किया गया है। इस हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं से वर्ष 2024 हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित है।

2. सम्मान का स्वरूप :-
उक्त सम्मान के अंतर्गत रूपये दो लाख नगद राशि एवं प्रतीक चिन्ह युक्त प्रशस्ति पट्टिका दी जाएगी।
3. आवेदन/प्रविष्टियां भेजने की समयावधि :-
3.1 पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र / प्रविष्टियां, समाज सेवी संस्था द्वारा बंद लिफाफे में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा दिनांक 29.08.2024 सायं 5:00 बजे तक कार्यालय, सचिव, छ०ग०राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, शहीद भगत सिंह चौक शंकर नगर रोड पुराना लोक सेवा आयोग परिसर "ब्लाक-ए" रायपुर छ.ग. में प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त निर्धारित तिथि एवं समयावधि पश्चात, प्राप्त प्रविष्टि/आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। डाक संबंधी विलंब के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
- 3.2 योजना नियमावली विभागीय वेबसाइट www.cgtribal.gov.in पर उपलब्ध है।
- 3.3 प्रविष्टियां/आवेदन पत्र के लिफाफे पर "डॉ० भंवर सिंह पोर्ते, आदिवासी सेवा सम्मान वर्ष 2024" अंकित होना चाहिए।
4. प्रविष्टियां/आवेदन के मापदण्ड
सम्मान के लिए प्रविष्टियां / आवेदन निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत किए जा सकते हैं :-
1. संस्था का पूर्ण परिचय
2. आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के लिए संस्था द्वारा किये गये कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी।
3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण।
4. सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इनके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति (सत्यापित)
5. आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं / ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य।
6. संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का नवीनतम (ताजा) प्रमाण-पत्र।
7. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में संस्था की सहमति।
8. ज्यूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्था के कार्यों के प्रत्यक्ष आंकलन के संबंध में सहमति।
9. चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होगी।
10. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा, कि संबंधित संस्था का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं है।
11. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों / जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
12. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों / निष्कर्षों / प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टिकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा।
13. संस्था को आवेदन में इस आशय की अण्डरटेकिंग देना होगा कि ज्यूरी अथवा उसके किसी भी सदस्य अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा संस्था के कार्य का प्रत्यक्ष आंकलन किया जा सकता है। तथा इस हेतु वे (संस्था) सहमत हैं। इसी प्रकार चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने की सहमति देनी होगी।

(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

आर.ओ.71/जी- 242501492/3

कार्यालय, आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग :: संचालनालय ::

ब्लॉक-डी, भूतल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)
कमांक/आदि०यो०/05/2024-25/4422 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30/7/2024

“शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान वर्ष 2024 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में प्रदेश स्तर का सम्मान स्थापित किया गया है। वर्ष 2024 हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित है।

1. सम्मान का स्वरूप :-

उक्त सम्मान के अंतर्गत रूपये दो लाख नगद राशि एवं प्रतीक चिन्ह युक्त प्रशस्ति पट्टिका दी जाएगी, सम्मान की नगद राशि एक व्यक्ति को दी जा सकती है।

2. आवेदन / प्रविष्टियां भेजने की समयवधि :-

2.1 पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र / प्रविष्टियां, समाज सेवी व्यक्ति द्वारा बंद लिफाफे में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा दिनांक 29.08.2024 सायं 5.00 बजे तक सचिव, छ०ग०राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, शहीद भगत सिंह चौक शंकर नगर रोड पुराना लोक सेवा आयोग परिसर “ब्लाक-ए” रायपुर छ.ग. में जमा की जायेगी। उक्त तिथि को निर्धारित समयवधि पश्चात् प्राप्त प्रविष्टि/आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। डाक संबंधी विलंब के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

2.2 योजना नियमावली विभागीय वेबसाइट www.cgtribal.gov.in पर उपलब्ध है।

2.3 प्रविष्टियां/आवेदन पत्र के लिफाफे पर “शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान वर्ष 2024 अंकित होना चाहिए।

3. प्रविष्टियां/आवेदन के मापदण्ड

सम्मान के लिए प्रविष्टियां/आवेदन निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत किए जा सकते हैं :-

- व्यक्ति का पूर्ण परिचय।
- आदिवासियों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के लिए किये गये कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी।
- यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण।
- सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इनके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति (सत्यापित)।
- आदिवासियों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य।
- व्यक्ति के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का नवीनतम (ताजा) प्रमाण पत्र।
- चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति की सहमति।
- जुरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के कार्यों के प्रत्यक्ष आंकलन के संबंध में सहमति।
- चयन के लिये नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होगी।
- एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं है।
- प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों / जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों / निष्कर्षों / प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टिकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा।
- व्यक्ति को आवेदन में इस आशय की अपडरटेकिंग देना होगा कि ज्यरी अथवा उसके किसी भी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के कार्यों का प्रत्यक्ष आंकलन किया जा सकता है। इस हेतु वे (व्यक्ति) सहमत हैं। इसी प्रकार चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने की सहमति देनी होगी।

(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

आर.ओ.72/जी-242501493.3

कार्यालय महानिदेशक छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद विज्ञान भवन, विधान सभा रोड, सडडू, रायपुर (छ.ग) 492014 फोन: 0771-2972943 ई-मेल: dgccost@gmail.com

विज्ञापन संख्या 515/सीसीओएसटी/2024

रायपुर, दिनांक 30/07/2024

परियोजना अमलों हेतु वॉक-इन इंटरव्यू

परिषद द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए अस्थायी आधार पर परियोजना अमलों हेतु आवेदन विस्तृत विज्ञापन में उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आवेदकों को आमंत्रित कर रही है। विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट www.rsc.cgstate.gov.in पर है।

वैज्ञानिक ई-1 (चयन कक्ष)

छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

आर.ओ.66/संवाद-41002/2

रायपुर (छ.ग.)

संचालनालय कृषि, छ.ग. रायपुर

क्र/एक्स.रि./खू.ब.पु./2024-25/146

नवा रायपुर, दिनांक 31/07/2024

सूचना

“डॉ. खूबचंद बघेल, कृषक रत्न पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रण

छ.ग. शासन, कृषि विभाग के अधिसूचना कमांक/4326/कृषि/2001 रायपुर, दिनांक 17.10.2001 एवं अधिसूचना कमांक/2310/बी-6-26/2004/14-2 दिनांक 08 जून, 2007 तथा पत्र कमांक/2607/एफ-6-26/पुर./2004/14-2 रायपुर, दिनांक 08.07.2011 द्वारा दी गई सहमति तथा अधिसूचना क्र/1128/बी-6-26/खू.ब./2015/14-2 दिनांक 08.06.2015 द्वारा किये गये संशोधन एवं छ.ग. शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैवप्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक / 3229/एफ-03-54/2024/14-2 दिनांक 31.07.2024 के अनुसार वर्ष 2024 हेतु “डॉ. खूबचंद बघेल, कृषक रत्न पुरस्कार के लिए कृषकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र संबंधित जिला के उप संचालक कृषि कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र संबंधित जिले के उप संचालक कृषि, कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2024 है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त सूचना की संपूर्ण जानकारी कृषि विभाग के वेबसाइट (Website)- www.agriportal.cg.nic.in पर उपलब्ध है।

(डॉ. सारांश मित्र)

भा.प्र.से.

आर.ओ.67/जी-242501517.5

संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन, ब्लॉक-4, प्रथम तल, नवा रायपुर

अटल नगर जिला- रायपुर पिन 492002

फोन: 0771-2510115, ई-मेल आईडी: dettrgcg@rediffmail.com, meenaganvir1@gmail.com

// सूचना पत्र //

छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास विभाग के अंतर्गत संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीन राज्य में संचालित 199 शासकीय आई. टी. आई. में सत्र 2024-25 एवं 2024-26 में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था। प्रवेश के लिये पूर्व में जो अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गये हैं उन्हें पुनः अवसर प्रदान करने की दृष्टि से दिनांक 04.08.2024 से 11.08.2024 तक के लिये आवेदन रजिस्ट्रेशन हेतु पोर्टल खोला जा रहा है। रजिस्ट्रेशन उपरांत नवीन रजिस्टर्ड आवेदनों एवं पूर्व में प्राप्त आवेदनों में से शेष आवेदनों की संयुक्त प्रवीण्यम सूची के आधार पर चयन सूची जारी की जावेगी। प्रवेश हेतु समय सारिणी और न विभागीय वेबसाइट cgiti.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।

संचालक

रोजगार एवं प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़

आर.ओ.73/जी-24250582.6

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति कांकेर जिला-कांकेर (छ.ग.)

क्रमांक / मण्डी /स्था. / सीधी भर्ती/2024-25/985

कांकेर दिनांक 29-7-2024

कृषि उपज मण्डी समिति कांकेर में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के स्वीकृत 01 पद (अनारक्षित) वेतन लेवल मैट्रिक्स (06)-25300-80500 पर सीधी भर्ती के लिये दिनांक 21.08.2024 तक पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन नीचे दर्शित शर्तों के अनुसार आमंत्रित किया जाता है।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10 वीं की परीक्षा एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण।
- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री का 8000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी) होना अनिवार्य है।
- मण्डी समितियों में दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा के रूप में कार्यरत कर्मियों को प्राथमिकता दी जावेगी।

अन्य अर्हताएँ -

- आयु सीमा छ.ग. शासन के नियमानुसार लागू होगी किंतु मंडी समितियों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/संविदा में कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की शिथिलता प्रदान की जावेगी।
- दिनांक 11.05.2000 से व्यक्ति विवाह की न्यूनतम आयु से पहले विवाह करेगा तो उसे राज्य में मंडी समिति सेवा में नौकरी के लिए अयोग्य माना जायेगा।
- दिनांक 26.01.2001 के बाद जिन महिला अथवा पुरुषों को दो से अधिक बच्चे होंगे उन महिला एवं पुरुषों को किसी प्रकार की मंडी समिति की सेवा प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
- ऐसा कोई पुरुष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो तथा ऐसी कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो सेवा, या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।
- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या' पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा :-
(1) यदि उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी या सेवा के कदाचरण के परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, तथा लोक सेवा में नियोजन के लिए अनर्ह घोषित कर दिया गया हो
(2) यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोषी सिद्ध ठहराया गया हो।
- आवेदक को कांकेर जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मण्डी समिति का होगा।
- चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।
- चयन समिति द्वारा लिखित कम्प्यूटर ज्ञान (कौशल) परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
- आवेदन सादे कागज A4 साईज के कागज पर टाईप/हस्तलिखित आवेदन मान्य होगा किन्तु आवेदन के साथ संलग्न आवश्यक प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित होना आवश्यक है। आवेदन में जाति वर्ग लिखना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा होना आवश्यक है।
- कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के दिन प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों लाना अनिवार्य होगा।
- शेष उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें कृषि उपज मंडी समिति कांकेर जिला कांकेर से कार्यालयीन समय पर देखी जा सकती है।

(सी.एल. ताडंव)

सचिव/सदस्य सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति कांकेर

जिला कांकेर (छ०ग०)

(रमेश कुमार कोराम)

भारसाधक अधिकारी

कृषि उपज मण्डी समिति कांकेर

जिला कांकेर (छ०ग०)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

दूरभाष (का.) 0771-2439564, वेबसाईट www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 2277/04/परीक्षा/2024 रायपुर,

23 जुलाई 2024

“व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) मुख्य परीक्षा-2023 के संबंध में दिव्यांगजनों हेतु महत्वपूर्ण सूचना”

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 08/2023/परीक्षा/दिनांक 01/06/2023 के तहत व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) मुख्य परीक्षा-2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 25 अगस्त 2024 को बिलासपुर एवं रायपुर जिलों के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जानी है।

02/ व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) मुख्य परीक्षा-2023 में दिव्यांगजनों को सह-लेखक की सुविधा दिये जाने/अथवा रखे जाने की अनुमति दिये जाने संबंधी निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं:-

(I) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 तथा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का पत्र क्रमांक थ.छव. 29-6/2019-DD-III Dated 10/08/2022 के अनुसार अभ्यर्थी को प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र-2 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम हैं तथा उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए सह लेखक की सेवाएं लेना अपरिहार्य हैं, उसे सह लेखक के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। अभ्यर्थी स्वयं नियमानुसार सह लेखक की व्यवस्था कर सकते हैं अथवा जिला कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कर सकते हैं।
(II) स्वयं के अथवा जिला कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सह लेखक की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड से कम होनी चाहिए तथापि सह लेखक की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए। अपना सह लेखक लाने या जिला कार्यालय को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार का है। परीक्षा में सह लेखक की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थी जो जिला कार्यालय से सह लेखक प्राप्त करना चाहते हो अथवा स्वयं सह लेखक लाना चाहते हों तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के सनय उपलब्ध प्रपत्र 1. प्रपत्र 2 प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र 4 पर उपलब्ध प्रारूप में प्रमाण-पत्र तैयार कर प्रपत्र 1 में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त कर प्रपत्र 2 व प्रपत्र 3 में परिक्षार्थी के हस्ताक्षर, प्रपत्र 4 में सहलेखक के हस्ताक्षर के साथ अपने पास सुरक्षित रखा जाना है। जिला कार्यालय से सहलेखक प्राप्त करने अथवा स्वयं अपने सह लेखक को परीक्षा दिवस के दिन अपने साथ ले जाने हेतु अभ्यर्थी को पूरी तरह से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित (सक्षम अधिकारी, सहलेखक एवं स्वयं जो भी लागू हो) प्रपत्र 01, 02, 03 एवं 04 प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा अभ्यर्थी सहलेखक के सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे। स्वयं सहलेखक की व्यवस्था करने अथवा जिला कार्यालय से सहलेखक की सुविधा लेने, दोनों ही स्थितियों में प्रपत्र 01, 02, 03 व 04 पूर्ण रूप से भरकर एवं संबंधित द्वारा हस्ताक्षरित कराकर संबंधित जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर, सहलेखक संबंधी अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा परीक्षा दिवस के दिन अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

(III) नेत्रहीनता, दोनों बाजूओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। प्रपत्र-1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र 4 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को सहलेखक की सुविधा दी जाती है उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात परीक्षा तिथि के 05 दिन पूर्व आयोग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात डाउनलोड किए गए प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र-4 को भरकर तथा संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त कर संपर्क करें। जिला कार्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के नाम से जारी पत्र जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में सहलेखक के उपयोग की अनुमति सहलेखक के विवरण के साथ दी जाएगी। (विस्तृत निर्देश एवं प्रपत्र हेतु आयोग के विज्ञापन क्रमांक विज्ञापन क्र. 08/2023/परीक्षा/दिनांक 01/06/2023 का भलीभांति अध्ययन करें)।

3/ अभ्यर्थी एवं उनके सहलेखक व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) मुख्य परीक्षा-2023 में केल्व्यूलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी एवं सहलेखक को अपने साथ डिजिटल डायरी, केल्व्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर और स्मार्ट वॉच लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

4/ परीक्षा परिसर में एवं भवन के अंदर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है/अशिष्ट, आचरण करता है/अनुचित/अशोभनीय या अश्लील व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा एवं उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे।

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष भवन, ब्लॉक-3, तृतीय/चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर

Phone: 0771-2221376, www.cgdteraipur.cgstate.gov.in, Email-cgdtecounselling@gmail.com

:: सत्र 2024-25 में तकनीकी संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसिलिंग की सूचना ::

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाइन काउंसिलिंग द्वारा होगा। इस हेतु अभ्यर्थी का वेब साइट www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर उपलब्ध कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, की अधिसूचना क्रमांक/एफ-9-5/2023/तक.शि./42 अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023 में प्रकाशित निम्न संबंधित प्रवेश नियम के अनुसार अर्ह होना अनिवार्य है।

- छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम 2023
- छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक.) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम-2023
- छत्तीसगढ़ की पॉलीटेक्निक संस्थाओं के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम-2023
- छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम-2023
- छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी (बी.टेक.) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम-2023
- मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम-2023 में संशोधन

ऑनलाइन काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया का अवलोकन भी उपरोक्त वेब साइट के माध्यम से किया जा सकता है, तत्संबंधी तिथियाँ निम्नानुसार है।

पाठ्यक्रम	प्रथम चरण हेतु तिथियाँ			द्वितीय चरण हेतु तिथियाँ			संस्था स्तर का चरण हेतु तिथियाँ		
	पंजीयन (Registration)	आवंटन (Allotment)	प्रवेश (Admission)	पंजीयन (Registration)	आवंटन (Allotment)	प्रवेश (Admission)	पंजीयन (Registration)	प्रावीण्यता सूची (Merit)	प्रवेश (Admission)
बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी	07.08.2024,	14.08.2024,	16.08.2024,	22.08.2024,	29.08.2024,	30.08.2024,	09.09.2024,	12.09.2024,	1. मेरिट सूची के अनुसार संस्था स्तर पर आवंटन हेतु अवसर लेने के लिए विद्यार्थियों को संबंधित संस्था में उपस्थित होना- 13 सितंबर 2024 10:30 बजे
बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी लेटरल	10:30 बजे से	17:00 बजे	10:30 बजे से	10:30 बजे से	17:00 बजे	10:30 बजे से	10:30 बजे से	17:00 बजे	
मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी	12.08.2024		21.08.2024	27.08.2024		03.09.2024	10.09.2024		
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन	17:00 बजे तक		17:00 बजे तक	17:00 बजे तक		17:00 बजे तक	17:00 बजे तक		
डिप्लोमा (इंजीनियरिंग/ आर्किटेक्चर/कास्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग/ इंटीरियर डेकोरेशन/ मॉडर्न आफिस मैनेजमेंट/ होटल मैनेजमेंट एवं कैंटरिंग टेक्नालॉजी)	12.08.2024, 10:30 बजे से	21.08.2024, 17:00 बजे	22.08.2024, 10:30 बजे से	28.08.2024, 10:30 बजे से	03.09.2024, 17:00 बजे	04.09.2024, 10:30 बजे से	09.09.2024, 10:30 बजे से	12.09.2024, 17:00 बजे	2. संस्था द्वारा आवंटित सीटों पर प्रवेश लेने का कार्य। 13 सितंबर 2024 13:00 बजे से 15 सितंबर 2024 17:00 बजे तक
डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल	17.08.2024		27.08.2024	31.08.2024		07.09.2024	10.09.2024		
मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	17:00 बजे तक		17:00 बजे तक	17:00 बजे तक		17:00 बजे तक	17:00 बजे तक		

सामान्य निर्देश :-

- काउंसिलिंग में किया गया सीट का आवंटन प्राविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।
- एक पाठ्यक्रम हेतु एक अभ्यर्थी से संबंधित मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि किसी भी कारणवश कोई अभ्यर्थी अपना आवेदन नहीं भर पा रहा है। तो वह अभ्यर्थी सुविधा केन्द्रों में अपने समस्त मूल दस्तावेज एवं फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाकर अपनी समस्या का निदान कर सकता है।
- काउंसिलिंग के प्रत्येक चरण हेतु अभ्यर्थी को पृथक से आवेदन करना होगा, एवं इससे यदि पूर्व चरण में प्रवेश लिया है तो वह स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- रविवार एवं शासकीय अवकाश के दिन अभ्यर्थी सुविधा केन्द्र एवं प्रवेश हेतु संस्थाएं खुली रहेंगी।
- ऑनलाइन काउंसिलिंग से संबंधित जानकारी हेतु नियंत्रण कक्ष, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, कक्ष क्रमांक-01, ब्लॉक-3, चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में उपस्थित होकर अथवा दूरभाष क्रमांक 0771-2221376 पर कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं या cgdtecounselling@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

संचालक

तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़



ओलंपिक के स्वर्णिम सफर में बेटियों ने बढ़ाया भारत का मान



भारत की महिला खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय खेल मंचों पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने विभिन्न खेलों में पदक जीतकर न केवल अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों को हासिल किया है बल्कि भारतीय खेल जगत को एक नई पहचान दी है। प्रमुख महिला खिलाड़ियों जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक 3 मेडल जीत लिए हैं। यह तीनों मेडल शूटिंग में मिले हैं।

मनु ने स्या इतिहास

मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक में शूटिंग की 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही मनु आजादी के बाद एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। यह मेडल ओलंपिक इतिहास में भारत का पहला शूटिंग टीम मेडल भी है। भारतीय जोड़ी ने कोरिया की ओ ये जिन और ली वोन्हो को 16-10 से हराकर यह उपलब्धि अपने नाम की। इस ओलंपिक में अब भारत के दो ब्रॉन्ज मेडल हो गए हैं। सरबजोत सिंह और मनु भाकर की जोड़ी ने देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। इसी के साथ भारत की झोली में अब तक दो मेडल आए हैं। दोनों ही मेडल शूटिंग में ही जीते हैं। सरबजोत का यह पहला ओलंपिक मेडल रहा। वहीं मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। 1900 में भारत की ओर से नॉर्मन प्रिकर्ड ने दो सिल्वर मेडल जीते थे। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत को जीत की बधाई दी।



मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी, 2002 को हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव में हुआ था। इनके पिता मरीन इंजीनियर और मां स्कूल में प्रिंसिपल हैं।

खेल की शुरुआत

मनु ने अपनी खेल यात्रा की शुरुआत मुक्केबाजी, स्केटिंग और ताइक्वांडो जैसे खेलों से की, लेकिन बाद में उन्होंने शूटिंग को अपने करियर के रूप में चुना।

खेल जीवन और उपलब्धियां

मनु भाकर ने साल 2017 में केरल में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नौ स्वर्ण पदक जीतकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। इसी वर्ष एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीता। साल 2018 के अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स शूटिंग वर्ल्ड कप में भाकर ने स्वर्ण पदक

सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय

2018 में, मनु ने मेक्सिको में हुए ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता, जिससे वह विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा भारतीय शूटर बनीं। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता।

पेरिस ओलंपिक में मनु का प्रदर्शन

पेरिस ओलंपिक मनु भाकर के लिए शानदार रहा है। उन्होंने अभी तक दो पदक भारत की झोली में डाल दिए हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में कांस्य मेडल जीतकर भाकर ने भारत का पेरिस ओलंपिक में खाता खोला था। वहीं, डबल मिक्स में भी उन्होंने एक और कांस्य पदक अपने नाम किया है।

पीवी सिंधु (बैडमिंटन)

जन्म:- 5 जुलाई 1995
(हैदराबाद, तेलंगाना)

उपलब्धि:-

- 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता।
- ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी
- 2019 में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता
- 2013, 2014, 2017, और 2018 में इस चैंपियनशिप में रजत और कांस्य पदक जीते।
- सुपर सीरीज खिताब और बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स (2018) का खिताब भी जीता
- 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में महिला एकल में रजत पदक और टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता
- 2018 में एशियाई खेलों में सिंधु ने महिला एकल में रजत पदक जीता

साइना नेहवाल

जन्म:- 17 मार्च 1990
(हरियाणा के हिसार)

उपलब्धि:-

- 11 सुपर सीरीज खिताबों सहित 24 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खिताब जीते
- 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता।
- 2015 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी
- 2010 और 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते
- 2015 में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक और 2017 में कांस्य पदक
- 2016 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्म भूषण, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित

मीरा बाई चनू (वेटलिफ्टर)

जन्म:- 8 अगस्त 1994
(मणिपुर के नोंगपोक काकचिंग)

उपलब्धि:-

- 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता
- ओलंपिक भारोत्तोलन में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनीं
- 2017 में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता

- 2014 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक
- 2018 के गोलड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता
- 2021 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता
- भारत सरकार द्वारा पद्म श्री और राजीव गांधी खेल से सम्मानित

साक्षी मलिक (महिला पहलवान)

जन्म:- 3 सितंबर 1992
(रोहतक, हरियाणा)

उपलब्धि:-

- 2016 के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता
- ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गईं।
- 2014 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक
- 2018 के गोलड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता
- 2015 के दोहा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता
- 2017 में स्वर्ण पदक टाटा ओपन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज
- 2017 में भारतीय रेल्वे द्वारा खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित
- 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित

मेरी कॉम

जन्म:- 1 मार्च 1983
(मणिपुर के चुराचांदपुर)

खेल:- मुक्केबाज

उपलब्धि:-

- छह बार की विश्व एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन
- 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता।
- 2010 के एशियाई खेलों में कांस्य तथा
- 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया।
- 2003 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2006 में पद्मश्री से सम्मानित
- 2009 को भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार

कर्णम मल्लेश्वरी (वेटलिफ्टर)

जन्म:- 1 जून 1975
(आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम)

उपलब्धि:-

- 2000 सिडनी ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं
- 1994, 1995 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में दो बार स्वर्ण पदक

- 1993, 1996 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में दो बार रजत पदक
- 1994 के हिरोशिमा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक
- 1999 भारत सरकार द्वारा पद्म श्री सम्मान से सम्मानित
- 1999-2000 खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजीव गांधी खेल रत्न





साय सरकार का सपना



किसान की उन्नति, राज्य की प्रगति

धान की सबसे ज्यादा कीमत 3100 रुपए देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़

देश एवं प्रदेश की आर्थिक उन्नति में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। छत्तीसगढ़ राज्य को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाने वाले किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए प्रदेश की सरकार प्रयासरत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विकास के नए द्वार खोल दिए हैं। हर किसान को अब उनके मेहनत का सही मूल्य मिल रहा है। प्रदेश के किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने तथा किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी साय सरकार कार्यरत है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से अन्नदाताओं के जीवनस्तर में सुधार

छत्तीसगढ़ में किसानों के जीवन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से बदलाव आ रहा है। प्रदेशभर में 26 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हर वर्ष प्रदेश के लाखों किसानों को सम्मान मिल रहा है। जून में 17वीं किस्त जारी हुई है। छत्तीसगढ़ के 23.59 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 483.85 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई है। इस योजना के तहत देश के 9 करोड़ 26 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों को 20 हजार करोड़ रूपए सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। छोटे और सीमांत किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई है। लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की राशि दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में प्रदान की जाती है।

11 वीं किस्त के बाद शुद्ध ई-केवाईसी

प्रदेश में योजना शुरू होने के समय 1,13,087 किसानों को 22.61 करोड़ की राशि जारी हुई थी। इसके बाद किसानों की संख्या बढ़ती चली गई। इसी बीच विभाग को फर्जीवाड़े की काफी शिकायतें मिलने लगीं। 11वीं किस्त के बाद सरकार ने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया। वर्तमान में ई-केवाईसी, भूमि विवरण सत्यापन और बैंक आधार सौडिंग का काम पूरा होने के बाद ही राशि जारी की जाती है। सहकारिता विभाग और जिला प्रशासन की ओर से ई-केवाईसी, भूमि विवरण सत्यापन और बैंक आधार सौडिंग का काम पूरा किया जाता है।

लाभान्वित होने वाले किसान और राशि

वर्ष	लाभान्वित	राशि
2018-19	1,13,087	22.61
2019-20	10,63,966	212.79
2019-20	19,66,147	393.23
2019-20	21,87,733	437.48
2020-21	27,72,845	554.23
2020-21	27,71,561	554.15
2020-21	31,25,569	624.40
2021-22	28,48,575	624.92
2021-22	30,24,425	665.33
2021-22	31,06,404	635.43
2022-23	27,35,457	723.00
2022-23	20,11,433	480.13
2022-23	19,92,208	456.68
2023-24	20,29,766	451.11
2023-24	21,54,670	576.16
2023-24	22,93,882	562.84

राशि (करोड़ में)



किसानों की जीवनशैली में बड़ा बदलाव

11 लाख से अधिक किसानों को दो साल के धान का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 25 दिसंबर को देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर राज्य के लगभग 11 लाख से अधिक किसानों को दो साल के धान के बकाया बोनस के रूप में 3716 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। किसानों को 2014 और 2015 में धान की एमएसपी पर खरीद के एवज में यह बोनस मिलना था, लेकिन तकनीकी कारण बताकर पिछली सरकार किसानों का यह पैसा नहीं दे पा रही थी। इसे पूरा करते हुए सरकार ने किसानों के खातों में हस्तांतरित कर दी है, जिससे किसानों के चेहरे में खुशी के साथ-साथ उनके जीवनशैली में बड़ा बदलाव आया है।



साय सरकार ने किसानों को धान का प्रति क्विंटल 31 सौ रुपए देने का वादा पूरी कर दी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा बालोद से कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ करते ही छत्तीसगढ़ देश में धान की सबसे ज्यादा कीमत देने वाला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री श्री साय के बटन दबाते ही प्रदेश के 24.72 लाख किसानों के खातों में 13 हजार 320 करोड़ रुपए अंतरित हो गए। इस

तरह किसानों को आदान (अतिरिक्त) सहायता राशि के रूप में प्रति एकड़ 19257 रुपए अतिरिक्त मिले। किसानों से किए गए वादे को पूरा करने तथा किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इस साल कृषि के बजट में 33 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। वादे के मुताबिक प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने के साथ ही दो साल के धान का बकाया बोनस 3716

करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है। साय सरकार खेती-किसानी और किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस साल के बजट में दस हजार करोड़ और पिछले साल के अनुपूरक बजट में तीन हजार करोड़ इस प्रकार कुल 13 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

जानिए कौन से जिले में किसानों को मिला कितना बोनस...

जिला	किसान की संख्या	राशि (2015-16)	किसान की संख्या	राशि (2014-15)	जिला	किसान की संख्या	राशि (2015-16)	किसान की संख्या	राशि (2014-15)
बस्तर	8820	1272.76	215146	2567.23	दुर्ग	53688	8411.49	59463	9361.12
बीजापुर	3659	500.69	35391	735.44	कवर्धा	42944	6130.79	43419	5792.28
दन्तेवाड़ा	802	62.5	1515	133.74	राजनांदगांव	76142	8827.9	102443	14704.44
कांकेर	33748	3997.24	42807	5461.85	बलौदाबाजार	104264	16699.67	100592	15902.15
कौंडागांव	9535	1058.8	13209	1539.39	धमतरी	68384	9637.69	72161	10182.58
नारायणपुर	1602	163.18	2039	237.81	गरियाबंद	34292	4758.33	44507	6999.82
सुकमा	2549	490.67	2733	498.54	महासमुंद	84657	17400.7	87709	17801.28
बलारामपुर	66384	10498.68	68363	10822.38	रायपुर	86083	13428.83	84322	13050.62
जांजगीर-चाम्पा	107857	19130.3	99739	17952.49	बलारामपुर	12014	2410.45	11716	2151.47
कोरबा	12077	2461.57	13879	2751.44	जशपुर	8179	1874.62	8064	1613.66
मुंगेली	44782	7603.8	42252	6917.05	कोरिया	4321	638.45	10074	1615.27
रायगढ़	60994	12127.3	56519	10694.69	सरगुजा	6038	3321.76	15624	2745.56
बालोद	73447	9967.47	83247	12340.1	सुरजपुर	16160	3065.72	18280	3412.94
बेमतरा	72134	11924.15	71602	11297.51	योग :-	1105556	177865.6	1176815	189282.85

छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री ने जल शक्ति अभियान के जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना



मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जल संरक्षण के प्रति बस्तर जिलावासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से जल शक्ति अभियान के तहत शहीद गुण्डाधूर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र परिसर जगदलपुर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन जिले के सभी गांवों में पहुंचकर जल संरक्षण के उपायों की जानकारी देते हुए आम नागरिकों को जागरूक करेगा।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने महारानी जिला अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। जन औषधि केंद्र के खुलने से अब अस्पताल परिसर में ही मरीजों को सस्ती जेनेरिक दवाइयां मिल सकेंगी जिससे मरीजों को महंगी दवाइयां खरीदने से होने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने जन औषधि केंद्र संचालक से केंद्र में उपलब्ध दवाइयों और अन्य मेडिकल आइटम्स की जानकारी भी ली।

बिलासपुर और जगदलपुर स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल

छत्तीसगढ़ की नैसर्गिक खूबसूरती और गौरवशाली आदिम संस्कृति को देखते हुए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा बिलासपुर और जगदलपुर को स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया गया है। जशपुर के अप्रतिम प्राकृतिक स्थल 'मयाली बगीचा' के विकास के लिए इसे उप-योजना 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' में शामिल किया गया है। इसके अलावा सूरजपुर जिले के धार्मिक स्थल कुदरगढ़ मंदिर के कायाकल्प के लिए इसे 'प्रसाद' योजना में शामिल किया गया है।

छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 सर्वसम्मति से पारित

वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में प्रस्तुत किया। सदन में विस्तृत चर्चा के पश्चात् संशोधन विधेयक 2024 सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने से पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या में 50 लाख से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है। जीएसटी में विभिन्न करों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 19 जुलाई 2024 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 का अनुमोदन किया गया था।

नीट यूजी काउंसिलिंग 14 अगस्त से

एमबीबीएस, BDS, BHMS, BAMS जैसे कोर्स हेतु। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) यूजी के लिए काउंसिलिंग 14 अगस्त से शुरू होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के सचिव बी. श्रीनिवास ने बताया कि 14 अगस्त से (एनईईटी यूजी के लिए) काउंसिलिंग शुरू कर रहे हैं। हम छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। काउंसिलिंग की प्रक्रिया 2 महीने तक जारी रहेगी। काउंसिलिंग में देशभर के पात्र छात्र भाग ले सकते

हैं। काउंसिलिंग 4 राउंड में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि काउंसिलिंग की दिशा निर्देश पहले जैसे ही रहेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा उपलब्ध डेटा के अनुसार काउंसिलिंग की जाएगी।

स्किल्ड-बेसड एजुकेशन, प्राकृतिक औषधालय और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलेगा बढ़ावा

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की नौवीं बैठक में राज्य की विकास योजना प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की प्राथमिकताओं और विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी, जिसमें शिक्षा, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य, और तकनीकी उन्नति पर जोर दिया गया। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं को साझा किया, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में राज्य की भूमिका को स्पष्ट करती हैं। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के विकास में युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का मुख्य फोकस स्किल्ड मानव संसाधन तैयार करने पर है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को व्यावसायिक कौशल और ट्रेनिंग से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को ऐसी क्षमताएँ देना है जो उन्हें रोजगार के लिए तैयार करें। राज्य में प्रत्येक छात्र के लिए 'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी कार्ड' (APAAR आईडी) बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

पत्थलगाम्ब से गुमला तक हाई-स्पीड फोरलेन रोड की स्वीकृति

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रायपुर से रांची नेशनल हाईस्पीड कारीडोर प्रोजेक्ट अंतर्गत पत्थलगाम्ब, जशपुर (छत्तीसगढ़) से गुमला (झारखंड) तक के लिए हाई-स्पीड फोरलेन रोड की स्वीकृति दिए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण सड़क परियोजना दोनों राज्यों छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के साथ जशपुर निवासियों को इस हाई-स्पीड फोरलेन रोड परियोजना की स्वीकृति की विशेष रूप से बधाई देते हुए कहा कि पत्थलगाम्ब से गुमला तक फोरलेन सड़क के निर्माण से रायपुर और रांची के मध्य यात्रा सुगम होने के साथ-साथ यात्रा में समय की भी बचत होगी। सड़क परियोजना पूर्ण होने से दोनों राज्यों में विकास कार्यों की गति में भी तेजी आएगी।

रोजगार ऐप से हो सकेगा रोजगार पंजीयन व नवीनीकरण

संचालनालय रोजगार विभाग रायपुर द्वारा जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर में 'छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप' विकसित किया गया है। इच्छुक शिक्षित आवेदक छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से रोजगार पंजीयन व नवीनीकरण का कार्य कर सकते हैं। इस हेतु विभागीय वेबसाइट पर ऐप उपलब्ध है।

जीएसटी में सुधार के लिए जीएसटी काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हुआ पुनर्गठन

जीएसटी में सुधार के लिए हाल ही में जीएसटी काउंसिल के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) का पुनर्गठन किया गया है। इस नए गठन में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस ग्रुप में दो राज्यों के उप मुख्यमंत्री समेत कुल आठ सदस्य शामिल हैं। नई दिल्ली जीएसटी काउंसिल की ओर से जारी पत्र के अनुसार, जीएसटी में सुधार के लिए यह पुनर्गठन किया गया है।

राष्ट्रीय

700 साल पुराना 'मोइदम' असम का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना



असम में अहोम राजवंश की टीले पर दफनाने की प्रणाली 'मोइदम' को अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। लगभग 700 साल पुराना मोइदम पूर्वोत्तर राज्य की पहली सांस्कृतिक संपत्ति है जिसे यह प्रतिष्ठित टैग मिला है। इसे सूची में शामिल करने का निर्णय भारत में आयोजित विश्व धरोहर समिति (WHC) के 46वें सत्र के दौरान लिया गया था। इसे वर्ष 2023-24 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया था।

लोक सेवा आयोग के नये अध्यक्ष प्रीति सूदन

पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और 1983-बैच की आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुश्री सूदन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सुश्री सूदन डॉ. मनोज सोनी का स्थान लेंगी, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा दे दिया था।

ओडिशा में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी

ओडिशा में इस साल के अंत तक, मयूरभंज जिले में सिमिलिपाल बाघ अभ्यारण्य के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू हो जाएगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुशांत नंदा ने बताया कि सफारी के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है तथा केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने पहले ही अपनी मंजूरी दे दी है। प्रारंभ में भुवनेश्वर के नंदन कानन चिड़ियाघर में रखे गए ब्लैक टाइगर (काली भारी वाले बाघ) को प्रस्तावित सफारी में स्थानांतरित किया जाएगा।

मेटा एआई अब हिंदी समेत 7 नई भाषा में

मेटा (Meta) ने घोषणा की कि उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट मेटा एआई (Meta AI) अब हिंदी समेत सात नई भाषाओं में उपलब्ध है। यह ज्यादा क्रिप्टिव और स्मार्ट हो गया है। कंपनी ने बताया कि हिंदी और हिंदी-रोमन लिपि के अलावा, मेटा एआई अब फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, पुर्तगाली और स्पेनिश जैसी अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। यूजर्स इन नई भाषाओं में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और फेसबुक पर मेटा एआई के साथ बातचीत कर सकते हैं। कंपनी जल्द ही और भी भाषाएं जोड़ेगी।

सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बनी साधना सक्सेना

लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। उन्होंने नई दिल्ली में स्थित एम्स अस्पताल में चिकित्सा सूचना विज्ञान में दो साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया है। इसमें बताया गया कि उन्हें इजरायली रक्षा बलों के साथ रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु युद्ध में तथा स्पीज में स्विस् सशस्त्र बलों के साथ सैन्य चिकित्सा एथिक्स में प्रशिक्षण हासिल है। लेफ्टिनेंट जनरल

नायर भारतीय वायु सेना (आइएफ) की पश्चिमी वायु कमान और प्रशिक्षण कमान की पहली महिला प्रधान चिकित्सा अधिकारी भी हैं।

सीबीडीटी में रमेश नारायण और प्रबोध सेठ सदस्य नियुक्ति

केंद्र सरकार ने आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर (सीबीडीटी) में दो नए सदस्यों की नियुक्ति की है। रमेश नारायण पर्वत और प्रबोध सेठ भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 1989 बैच के हैं। वित्त मंत्रालय ने नियुक्ति का आदेश जारी किया। पर्वत लखनऊ में आयकर जांच के महानिदेशक पद पर तैनात हैं, जबकि सेठ दिल्ली में मुख्य आयकर आयुक्त हैं। बता दें कि सीबीडीटी में छह सदस्य हो सकते हैं, जो विशेष सचिव के पद पर होते हैं।

पहला 3 डी प्रिंटेड स्कूल अरुणाचल प्रदेश में तैयार

अरुणाचल प्रदेश में एक गांव पाचिन में देश का पहला 3 डी प्रिंटेड तकनीक से स्कूल बनाया गया है। दो महीने पहले आग लगने से जो स्कूल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इसके लिए नए भवन की जरूरत थी। इसे 3 डी प्रिंट तकनीक की मदद से मात्र दो महीने में बना लिया गया। यह तकनीक इमारत निर्माण में किराया होने के साथ-साथ मजबूत भी होता है। बता दें कि इससे पहले बेंगलुरु में पिछले साल अगस्त में 3 डी कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक से डाकघर बनाया गया था।

वायनाड में भूस्खलन, 274 लोगों की मौत

केरल में वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 274 हो गई है। हादसे में घायल हुए 187 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 107 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 70 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां 7000 से अधिक लोगों को रखा गया है। अब भी सैकड़ों लोग मलबे में फंसे हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मिट्टी और मलबे में दबे लोगों को प्रशिक्षित कुत्ते खोजेंगे। भारी बारिश के कारण वायनाड में एक पहाड़ी दो बार दरक गई।

भारतीय छात्रों ने दो स्वर्ण और तीन रजत पदक जीते

भारत के छात्रों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में धूम मचा दी है। यह प्रतियोगिता ईरान के इस्फहान में आयोजित हुई थी। भारतीय टीम के सभी पांचों छात्रों ने पदक जीते। दो स्वर्ण पदक और तीन रजत पदक भारत के खाते में आये। चीन ने प्रथम स्थान पर कब्जा जमाया, जबकि भारत और वियतनाम चौथे स्थान पर रहे। ईरान में हुए 54वें फिजिक्स ओलंपियाड में छत्तीसगढ़ के रायपुर के रिदम केडिया और मध्य प्रदेश के इंदौर के वेद लाहोटी ने स्वर्ण पदक जीते। महाराष्ट्र के नागपुर के आकर्ष राज सहाय, उत्तर प्रदेश के नोएडा के भव्य तिवारी और राजस्थान में कोटा के जयवीर सिंह ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीते।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में बैंगलेस डे के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए बैंगलेस डे शुरू करने के लिए नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की है, ताकि स्कूली पढ़ाई को अधिक मनोरंजक, अनुभवात्मक और कम तनावपूर्ण बनाया जा सके। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की एक शाखा पीएसएस सेंटरल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन द्वारा विकसित दिशा-निर्देशों का अनावरण राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की चौथी वर्षगांठ पर किया गया।

अंतरराष्ट्रीय

दुनिया की पहली मिस एआई वर्ल्ड बनीं



मोरक्को की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जनरेटेड मॉडल केंजा लेली दुनिया की पहली मिस एआई वर्ल्ड चुनी गई हैं। इस प्रतियोगिता में फ्रांस की लालिना दूसरे और पुर्तगाल की ओलिविया तीसरे स्थान पर रहीं, वहीं भारत की एआई मॉडल जारा शतावरी प्रतियोगिता में शीर्ष 10 फाइनलिस्ट में रही। केंजा लेली एक एआई लाइफस्टाइल इन्फ्लूएंसर हैं। उन्होंने 1500 से अधिक एआई सुंदरियों को हराकर 20 हजार डॉलर का पुरस्कार जीता। एआई मॉडल केंजा को फीनिक्स एआई कंपनी की सीईओ मरियम बेस्सा ने बनाया है। उल्लेखनीय है कि मिस एआई वर्ल्ड दुनिया की पहली एआई ब्यूटी प्रतियोगिता है।

पृथ्वी से 17 गुना बड़ा महासागर वाला ग्रह मिला

वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की खोज की है जो पृथ्वी से 17 गुना बड़ा और महासागर वाला है। फ्रांस के सीएनआरएस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से इस ग्रह की खोज की है। इसे एलएचएस 1140 बी नाम दिया गया है। यह ग्रह पृथ्वी से 48 प्रकाश वर्ष (लगभग 450 ट्रिलियन किलोमीटर) की दूरी पर है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस ग्रह को वर्ष 2017 में पहली बार खोजा गया था, तब से इस पर शोध किया जा रहा था। इस ग्रह की सतह पर ज्यादातर बर्फ है, लेकिन वहां एक बड़ा महासागर हो सकता है। आने वाले दिनों में इस ग्रह पर पानी की पुष्टि हो सकती है।

भारतवंशी लेखक त्रिपुरदमन सिंह को प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार

ब्रिटेन में भारतवंशी लेखक त्रिपुरदमन सिंह को प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। त्रिपुरदमन सिंह, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमनवेल्थ स्टडीज में शोधार्थी हैं। इस पुरस्कार के लिए नौ शोधार्थियों को चुना गया है, इनमें त्रिपुरदमन सिंह एकमात्र भारतीय हैं। उन्हें पुरस्कार के रूप में तीन लाख डॉलर की धनराशि मिलेगी। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार डैन डेविड फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष शोधार्थियों को प्रदान किया जाता है।

तुर्की ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रोक लगाई

तुर्की ने देश में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रोक लगा दी है। तुर्की सरकार ने इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा पर हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या पर शोक की पोस्ट रोकने का आरोप लगाया है। तुर्की राष्ट्रपति के संचार निदेशक, फहाटिन अल्टुन ने इंस्टाग्राम की आलोचना की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्री अल्टुन ने कहा कि तुर्की सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना जारी रखेगी।

जेम्स हंट: कोलंबिया में हीरा पन्ना की खोज के लिए रूस

दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया बहुमूल्य रत्नों का सबसे बड़ा उत्पादक है। 9 हजार लोगों की आबादी वाले मूजो शहर को पन्ना की राजधानी कहते हैं। यहां बहने वाली लास एनिमास नदी के

किनारे ला बोलाडोरा में अमेरिकी एस्मेरालडास माइनिंग सर्विसेज (ईएमएस) कंपनी खनन के मलबे फेंकती है। इस डंपिंग यार्ड को हर साल 2-3 बार स्थानीय लोगों के लिए खोला जाता है। तब हजारों लोग यहां आते हैं और अपने कटोरों और फावड़ों से मलबे के कंकड़ और पत्थरों को बोरे में भरते हैं। इसके बाद लोग अपने बोरे में रत्नों की तलाश करते हैं और उसे नदी में धोकर बाजार में बेचते हैं, जहां उसकी घिसाई होती है और आगे बेचा जाता है।

वेनेजुएला: राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस मादुरो जीते

वेनेजुएला में हुए राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस मादुरो ने जीत दर्ज की। हालांकि नतीजों के बाद विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने मतगणना में व्यापक धोखाधड़ी का आरोप लगाया। अमेरिका ने भी नतीजों पर संदेह जताया है। इलॉन मस्क ने ट्वीट में लिखा 'तानाशाह मादुरो तुम्हें शर्म आनी चाहिए।

नया फीचर: अब एपल में कॉल रिकॉर्डिंग की भी मिलेगी सुविधा

एपल में अब कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा भी मिलेगी। इस रिकॉर्डिंग कॉल का ट्रान्सक्रिप्शन भी नोट्स में पढ़ सकेंगे। मैकरयूसर्स की रिपोर्ट के अनुसार, एपल का आईओएस 18.1 एआई-पावर्ड ये फीचर लेकर आया है। डेवलपर प्रीव्यू में कई सुविधाएं टेस्ट की जा रही हैं। बीटा तक पहुंच वाले यूजर को ऑडियो लॉग रखने के लिए अपने कॉल स्क्रीन के ऊपरी-बाएं कोने में नया 'रिकॉर्ड' बटन दिखाया। इसे दबाते संदेश सुनाई देगा- 'यह कॉल रिकॉर्ड की जाएगी।'

पृथ्वी के मुकाबले पतला और छोटा है चांद का वायुमंडल

पृथ्वी के वायुमंडल के मुकाबले चांद का वायुमंडल काफी पतला व सीमित दायरे वाला है। चांद के वायुमंडल में मुख्य रूप से प्रॉॉन, हीलियम, नियाॉन के साथ पोटेशियम, रुबिडियम व कुछ दूसरे तत्व हैं। इसका दायरा चांद की सतह से 100 किलोमीटर तक है। वहीं पृथ्वी के वायुमंडल का दायरा 10,000 किलोमीटर है। अमरीकी वैज्ञानिकों के शोध में यह खुलासा हुआ। अर्थ डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक चांद की जमीन पर पहली बार कदम रखने वाले नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने उसके वायुमंडल का पता लगाया था, लेकिन तब यह जानकारी नहीं थी कि यह काफी कमजोर है। चांद की मिट्टी के नमूनों पर शोध के बाद पता चला कि चांद का वायुमंडल छोटे-बड़े धूमकेतुओं की टक्कर से बना। वायुमंडल में परमाणुओं की संख्या बहुत कम है। इससे ये आपस में टकराते नहीं हैं।

भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस शाल्की दो दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंची

भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस शाल्की, आज दो दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंची। श्रीलंका नौसेना के गार्ड अधिकारी ने पनडुब्बी का स्वागत किया। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग और श्रीलंकाई रक्षा बल कल पनडुब्बी का दौरा करेंगे। आईएनएस शाल्की एक शिशुमार श्रेणी की डीजल-विद्युत पनडुब्बी है। इसे 07 फरवरी, 1992 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इससे पहले, कलवैरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस कारज ने इस वर्ष फरवरी माह में कोलंबो का दौरा किया था और आईएनएस वागिरहाद ने पिछले वर्ष जून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोलंबो का दौरा किया था। पनडुब्बी, रविवार को श्रीलंका से वापसी करेगी।

स्वप्निल ने दिलाया तीसरा कांस्य



निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में देश को ऐतिहासिक पदक दिलाया। महाराष्ट्र के स्वप्निल ने 50 मीटर श्री पोजीशन में कांस्य पदक जीता। शूटिंग की इस स्पर्धा में देश को पहली बार ओलंपिक पदक मिला है। यह भी पहली मर्तबा है, जब शूटिंग में एक ओलंपिक में देश को तीन पदक मिले हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में विजय कुमार ने रजत व गगन नारंग ने कांस्य पदक जीता था। पेरिस में देश के पदकों की संख्या तीन हो गई। इससे पहले एक-एक कांस्य मनु भाकर व मनु-सरबजोत सिंह की जोड़ी ने जीते हैं।

महिलाओं की दो हजार मीटर रेस में जेसिका हल ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया की महिला धाविका जेसिका हल ने महिलाओं की दो हजार मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जेसिका ने मोनाको में आयोजित हरक्यूलिस ईबीएस वांडा डायमंड लीग मीट में यह रिकॉर्ड बनाया। इस प्रतियोगिता में जेसिका ने 5 मिनट 19.70 सेकेंड में दो हजार मीटर की दूरी तय कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड इथियोपिया की जेनजेबे डिबाबा के नाम था, डिबाबा ने वर्ष 2018 में 5 मिनट 21.56 सेकेंड का समय लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। जेसिका ने कहा कि मेरा लक्ष्य अब पेरिस ओलंपिक में भी अपना यह प्रदर्शन दोहराना है।

भारतीय फुटबॉल रेफरी ने लिया संन्यास

भारत की महिला फुटबॉल रेफरी उवेना फर्नांडिस ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने बताया कि उवेना फीफा के विश्व कप फाइनल में सहायक रेफरी की भूमिका निभाने वाली एकमात्र भारतीय हैं। उन्होंने वर्ष 2016 में जॉर्डन में आयोजित फीफा अंडर-17 विश्वकप में अंपायरिंग की थी। इस विश्वकप के फाइनल में उवेना सहायक रेफरी भी रही थीं। उवेना ने कहा कि मैंने लगभग 20 वर्षों तक रेफरी की भूमिका निभाई है। अब युवाओं के लिए रास्ता बनाने का समय आ गया है। उवेना अब रेफरी मूल्यांकनकर्ता और प्रशिक्षक के रूप में काम करेंगी।

विंटर ओलंपिक: 2030 की मेजबानी फ्रेंच आल्प्स को

इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी (आईओसी) ने साल 2030 और 2034 के विंटर ओलंपिक के मेजबान घोषित किए। 2030 के लिए फ्रेंच आल्प्स को मेजबानी दी गई है। हालांकि, फ्रांस में नए प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उन्हें इसकी मंजूरी देनी होगी। इसके लिए कमिटी ने एक अक्टूबर तक की अवधि तय की है। मंजूरी मिलने पर ओलंपिक के आइस स्पोर्ट्स इवेंट नीस में कराए जाएंगे। वहीं, 32 साल बाद यूटा को 2034 के लिए विंटर ओलंपिक का मेजबान बनाया गया है। यूटा की राजधानी सॉल्ट लेक सिटी में 2034 के विंटर ओलंपिक इवेंट होंगे। इससे पहले 2002 में यूटा में विंटर ओलंपिक हुए थे।

सिल्वर विनर बैटन पर जुर्माना

पेरिस अमेरिका की माउंटेन बाइकर हैली बैटन पर क्रॉस कंट्री रेस में सिल्वर जीतने के बाद जुर्माना

खेल / कला

लगा। फाइनल के आखिरी लैप में हैली बिना आवश्यकता के फूड और मैकेनिकल लेन में चली गई। इसके लिए उनपर 47 हजार रु. का जुर्माना लगा। रेस में फ्रांस की पाउलिनी को गोल्ड और स्वीडिश रिसवेड्स को ब्रॉन्ज मिला।

वेस्ट जोन हॉकी चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ ने जीता ब्रॉन्ज मेडल

छत्तीसगढ़ हॉकी की जूनियर टीम ने वेस्ट जोन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। राजनांदगांव की मेजबानी में खेले गए टूर्नामेंट में बालिका वर्ग में तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में छत्तीसगढ़ ने राजस्थान को 2-1 से शिकस्त दी। 29 मिनट तक दोनों टीम के खिलाड़ी गोल करने में असफल रहे। लेकिन 30वें मिनट में छत्तीसगढ़ टीम की कप्तान गीता यादव ने गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद 48वें मिनट में सोनम राजभर ने गोल कर अपनी टीम को 2-0 की बढ़त दिलाई। मैच के अंतिम क्वार्टर के 57वें मिनट में राजस्थान ने पेनल्टी कार्नर बनाया। जिसे टीम के कप्तान गुजर निक्कू ने गोल में तब्दिल किया। इसके बाद खिताबी मुकाबले में हॉकी मध्यप्रदेश ने महाराष्ट्र को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से शिकस्त दी। वहीं, बालक वर्ग में ब्रॉन्ज के लिए खेले गए मुकाबले में छत्तीसगढ़ ने राजस्थान को 11-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। विजेता टीम की ओर से मोहित नायक ने पांच गोल दागे।

स्ववैश नेशनल के लिए छत्तीसगढ़ की टीम घोषित

नेशनल चैम्पियनशिप के लिए 12 सदस्यीय स्ववैश टीम घोषित कर दी गई है। मुंबई में होने जा रहे टूर्नामेंट के लिए प्रदेश की टीम को खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने टी-शर्ट वितरित किया। टीम: अनन्या पांडेय, रेयान कुलश्रेष्ठ, अर्चित सक्सेना, प्रभात मिंज, यश सोनवानी, अर्चिता बैनर्जी, राहुल साहू, बाप्पा श्री साहू, कार्तिक सोनी, गौरव सिंह, हिमांशु चक्रधारी और आदित्य चक्रधारी। वरिष्ठ खिलाड़ी दल प्रबंधक होंगे।

दियांग जिया ने रचा इतिहास, तैरकर पार किया इंग्लिश चैनल

16 साल की दियांग जिया राय ने इंग्लिश चैनल तैरकर पार करते हुए इतिहास रच दिया है। वह अब दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गई हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इंग्लैंड के एबॉट्स क्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डे ला कोर्टे-ड्यून तक 34 किमी की दूरी 17 घंटे 25 मिनट में तय की।

भारत 2025 में टी-20 एशिया कप की मेजबानी

भारत 2025 में टी-20 फॉर्मेट में मैसे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। यह 2026 में देश में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप से पहले खेला जाएगा। भारत को मैसे एशिया कप के इतिहास में दूसरी बार मेजबानी मिली है। इससे पहले, 1990 में मिली थी। इसके बाद एशिया कप 2027 की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। यह टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। इसी साल (2027 में) साउथ अफ्रीकी सरजमीं पर वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है। एशिया क्रिकेट काउंसिल (ACC) की ओर से जारी किए गए इनविटेशन फॉर एक्सप्रेसन ऑफ इंटररेस्ट (IEOI) डॉक्यूमेंट के मुताबिक, भारत 2025 में मैसे एशिया कप की मेजबानी करेगा, जो टी-20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। वहीं, 2027 का एशिया कप बांग्लादेश की मेजबानी में होगा। 2027 का एशिया कप वनडे फॉर्मेट में ही होगा।



विष्णु के सुशासन से

सँवर रहा छत्तीसगढ़

“नियद- नेल्लानार अभियान”

बस्तर के दूरस्थ गांवों तक सामुदायिक विकास की नई पहल



श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

- नियद-नेल्लानार अर्थात 'आपका अच्छा गांव' के तहत अंदरूनी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित 23 कैम्पों के आस-पास के ग्रामों का विकास
- शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 53 हितग्राही मूलक योजनाओं के साथ 32 सामुदायिक सुविधाएं जैसे आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल इत्यादि उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि आम जनता के जीवन स्तर में हो सुधार और शासन-प्रशासन के प्रति बढ़े विश्वास
- माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में आ रहा सुशासन- सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में मार्ग निर्माण कार्य प्रगति पर
- इससे पहुंचविहीन क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों को मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है
- माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सड़कों व पुल-पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है, विगत दो माह में 98 किमी सड़कों का निर्माण, 02 पुल तथा 103 पुलियों का निर्माण पूर्ण हुआ

इस अभियान में...



विशेष आधार कैम्प का आयोजन

सुरक्षा कैम्पों में विशेष आधार कैम्प लगाकर छूटे हुए 9,760 ग्रामीणों का आधार कार्ड बनावाया गया



आधार कार्ड में छूट

5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र नहीं होने पर राशन कार्ड को दस्तावेज मानते हुए उनका पंजीयन, नवीन आधार कार्ड बनाने हेतु वेरिफिकेशन में शिथिलता



खेल मैदान

क्षेत्र में युवाओं को खेलकूद में प्रोत्साहित करने 64 खेल मैदान बनाने का लक्ष्य, 05 का निर्माण पूर्ण, अन्य प्रगतिरत



पेयजल हेतु हैण्डपम्प

ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 69 हैण्डपम्प स्थापित



वन अधिकार पट्टा वितरण

अब तक 603 वन अधिकार पट्टों का वनवासियों को वितरण



स्वास्थ्य सेवाएं

योजनांतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा, सिकल सेल, एनीमिया जांच, टीकाकरण, निःशक्तता प्रमाण पत्र सहित 10 तरह की सुविधाएं



कृषक कल्याण

किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ



केंद्र पोषित योजनाएं

ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ



आंगनबाड़ी केन्द्र

ग्रामों में 44 आंगनबाड़ी केन्द्र की सुविधा, 134 केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से जुड़ने के लिए यह क्यू आर (QR) कोड स्कैन करें



हमने बनाया है हम ही सँवारेंगे



महतारी वंदन योजना

खुशियों का नोटिफिकेशन

महतारी वंदन से मातृशक्ति का सम्मान
माँ को समर्पित है “एक पेड़ माँ के नाम”

1 अगस्त 2024

₹1000 की छठवीं किश्त जारी



प्रदेश की महतारियां
आज करेंगी
पौधरोपण

एक
पेड़
माँ के नाम

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



मुख्यमंत्री
श्री विष्णु देव साय
से जुड़ने के लिए
QR CODE स्कैन करें

विष्णु के सुशासन से
सँवर रहा छत्तीसगढ़

हमने बनाया है, हम ही सँवारेंगे